OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
INDUSTRIAL AREA, HILL BYPASS, HARIDWAR

Case No: 04/2026

M/s Indus Tower Ltd. V/S Executive Engineer, Kotdwar

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	02.01.2026	शिकायत दर्ज होकर पेश हुई। अवलोकित की गई। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी 12.01.2026 तक उत्तर प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 12.01.2026 को पेश हो।	
	12.01.2026	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी का जवाब प्राप्त। जवाब की प्रति परिवादी को प्रेषित हो। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 20.01.2026 नियत की जाती है।	
	20.01.26	परिवादी का पत्र प्राप्त हुआ। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। निस्तारित।	

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
INDUSTRIAL AREA, HILL BYPASS, HARIDWAR

Case No: 06/2026

M/s Indus Tower Ltd. V/S Executive Engineer, Rural, Roorkee

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	02.01.2026	शिकायत दर्ज होकर पेश हुई। अवलोकित की गई। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी 12.01.2026 तक उत्तर प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 12.01.2026 को पेश हो।	
	12.01.2026	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी का जवाब प्राप्त। जवाब की प्रति परिवादी को प्रेषित है। पत्रावली जवाब हेतु दिनांक 20.01.2026 नियत की जाती है। पश्चात अंकित हो।	
	20/01/26	परिवादी का पत्र प्राप्त हुआ। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। निस्तारित। आदेश विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली अभिलेख दफ्तर हो।	

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
INDUSTRIAL AREA, HILL BYPASS, HARIDWAR

Case No: 11/2026

M/s Indus Tower Ltd. **V/S** **Executive Engineer, SIDCUL, Haridwar**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	05.01.2026	शिकायत दर्ज होकर पेश हुई। अवलोकित की गई। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी 12.01.2026 तक उत्तर प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 12.01.2026 को पेश हो।	
	12.01.2026	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी का जवाब प्राप्त। जवाब की प्रति परिवादी को प्रेषित हो। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 20.01.2026 नियत की जाती है। पक्षकार सूचित हो।	
	20.01.2026	परिवादी का पत्र प्राप्त हुआ। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। निस्तारित। **आदेश** विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 210/2025 दिनांक : 19.01.2026

परिवादी :– श्रीमती राजीव रानी पत्नी श्री श्याम गोयल, निवासी–जय अम्बे आइस मिल्स, लोधा मण्डी ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार।

~~विपक्षी~~
~~विद्युत~~ :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती राजीव रानी पत्नी श्री श्याम गोयल, निवासी–जय अम्बे आइस मिल्स, लोधा मण्डी ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू0के000001664 के सम्बन्ध में कथन किया गया है कि उनके द्वारा अपने प्रतिष्ठान जय अम्बे आईस मिल्स के संचालन के लिए विद्युत विभाग से उक्त विद्युत संयोजन आरटीएस–7 न्यू आरटीएस–5 जनरल एलटी इण्डस्ट्री अपटू 25 के0वी0 केटेगरी के अंतर्गत लिया हुआ है। जो कि वर्तमान मे भी उनके उक्त प्रतिष्ठान पर गतिमान है। जिसका स्वीकृत भार 46 केवीए चला आता है। उनके द्वारा अपने उपरोक्त विद्युत संयोजन के बिल का हमेशा समय से भुगतान किया है। उनको माह जनवरी 2024 मे पता चला कि उनके विद्युत संयोजन के द्वारा उनके स्वीकृत भार से ज्यादा विद्युत भार की खपत की जा रही है। जिस कारण उनके विद्युत संयोजन के बिल पर अधिक विद्युत भार की दोगुना की पेनाल्टी विद्युत विभाग के द्वारा लगाई जा रही है। जिसकारण से उनके द्वारा विद्युत विभाग के समक्ष उनके विद्युत संयोजन के लोड को 46 केवीए से 14 केवीए अधिक बढा कर 60 केवीए किए जाने हेतु एक आवेदन दिनांक 18.01.2024 को समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर किया गया था। उनका भार वृद्धि आवेदन विद्युत विभाग के द्वारा पंजीकरण संख्या–812020224002 पर पंजीकृत किया गया है। उनके द्वारा किए गये आवेदन दिनांकित 18.01.2024 की छायाप्रति शिकायत पत्र के साथ संलग्न है। आवेदन करने के पश्चात उन्होने कुछ समय तक तो उनके द्वारा किए गये आवेदन के आधार पर विद्युत विभाग के द्वारा भार बढाये जाने की कार्यवाही किए जाने का इंतजार किया। परन्तु विद्युत विभाग के द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही नही किए जाने पर उनके व उनके पति के द्वारा कई बार विद्युत विभाग से उनके आवेदन पर कार्यवाही कर लोड बढाये जाने के सम्बन्ध मे जानकारी करनी चाही तो विद्युत विभाग के द्वारा उनके व उनके पति को कोई स्पष्ट जवाब नही दिया गया। माह नवम्बर 2024 मे उनके व उनके पति ने जब उपखण्ड अधिकारी के पास जाकर उनके द्वारा किए गये भार वृद्धि आवेदन पर कार्यवाही नही किए जाने और आवेदन किए जाने के पश्चात भी लगातार स्वीकृत भार से अधिक भार पर दोगुनी पैनॉल्टी लगाए जाने के सम्बन्ध मे जानकारी करनी चाही तो उस स्थिति में

क्रमशः.....02

उपखण्ड अधिकारी के द्वारा उनके व उनके पति को कोई स्पष्ट जानकारी प्रदान नहीं कर, टाल मटोली की जाने लगी। उनके पति ने जब विद्युत विभाग के द्वारा किए जा रहे कृत्य की उनके उच्चाधिकारियो को शिकायत करने के विषय मे बोला तो भी उपखण्ड अधिकारी ने कोई स्पष्ट उत्तर नही देकर उनके व उनके पति को उनके आवेदन के सम्बन्ध मे बिना कोई जानकारी प्रदान किए वापस भेज दिया गया। दिनांक 25.11.2024 को अचानक दिन मे विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारी उनके प्रतिष्ठान पर आये उस समय उनके पति श्री श्याम गोयल मौजूद थे। विद्युत विभाग के कर्मचारी भार बढाये जाने की कार्यवाही के नाम पर उनके मेन मीटर संख्या–19628490 के साथ एक चैक मीटर संख्या–5136409 स्थापित कर उनके पति के कुछ कागजो पर हस्ताक्षर करा कर ले गये। जब उनके पति ने इस विषय मे जानकारी करनी चाही तो विद्युत विभाग के कर्मचारी के द्वारा उन्हे बताया गया कि विद्युत भार बढाये जाने की प्रक्रिया के अंतर्गत सही भार की जानकारी करने के लिए चैक मीटर लगाया गया है। एक माह के बाद जॉच पूर्ण हो जाने के पश्चात उनका विद्युत भार बढा दिया जाएगा। दिनांक 03.01.2025 को पुनः विद्युत विभाग के कर्मचारी उनके प्रतिष्ठान पर आए उस समय भी उनके पति प्रतिष्ठान पर मौजूद थे। विद्युत विभाग के कर्मचारियो ने आकर उनके प्रतिष्ठान पर लगे मीटर को चैक कर बताया कि उनके पुराने मीटर का पुश बटन खराब है, और वह उनके प्रतिष्ठान पर लगाये गये नये मीटर को पूर्ण रूप से स्थापित कर उनके पति के मात्र सीलिंग रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करा कर उनके प्रतिष्ठान से पुराना मीटर उतारकर अपने साथ लेकर चले गये। जिसके पश्चात उनके व उनके पति ने विद्युत विभाग के कार्यालय मे जाकर अपने संयोजन के भार को बढाये जाने हेतु किए गए आवेदन की जानकारी करनी चाही तो उपखण्ड अधिकारी के द्वारा उनके पति को अवगत कराया कि उनके द्वारा उनके प्रतिष्ठान पर लगे मीटर को चैक करा लिया है अब वह जल्दी ही उनके भार को बढाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। जिसके पश्चात दिनांक 26.07.2025 में उनके प्रतिष्ठान पर विद्युत विभाग के द्वारा दिनांक 03.01.2025 को स्थापित मीटर के स्थान पर स्मार्ट मीटर संख्या–5712048 स्थापित किया गया। जिसके पश्चात दिनांक 20.08.2025 को उनके पति पुनः अपने भार वृद्धि के आवेदन के सम्बन्ध में जानकारी करने उपखण्ड अधिकारी के पास गये तो उनके द्वारा उनके पति को दिनांकित 01.08.2025 का रू0. 11,01,641.00 का एक निर्धारण यह कहते हुए प्रदान किया कि उनके प्रतिष्ठान पर स्थापित पुराना मीटर कम रीडिंग ले रहा था जिसके चलते उनके ऊपर विद्युत विभाग के द्वारा दिनांक 18.12.2023 से दिनांक 03.01.2025 के मध्य का 11,01,641.00 रूपये का निर्धारण अधिरोपित किया गया है। जब की उनके पति ने उपखण्ड अधिकारी से पूछा कि बिना प्रयोगशाला जांच और बिना उनको सूचना दिए विद्युत विभाग के द्वारा उनके ऊपर निर्धारण कैसे कर दिया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने उनके पति को अवगत कराया कि उनके कर्मचारियों के द्वारा मौके पर जॉच की गई थी। जबकि इसके विपरित चैक मीटर स्थापित किए जाने के समय एवं चैक मीटर फाइनल किए जाने के समय उनके पति के सामने विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा कोई किसी प्रकार की जॉच नही की गई और ना ही कोई जॉच रिपोर्ट उनके पति को सौपी गई। जिससे स्पष्ट है कि विद्युत विभाग के द्वारा बिना कोई प्रयोगशाला जांच के उनके ऊपर गलत तरीके से निर्धारण राशि रू0. 11,01,641.00 अधिरोपित की गयी है। निर्धारण दिनांकित 01.08.2025 की छायाप्रति शिकायत पत्र के साथ पर संलग्न है। विद्युत विभाग के द्वारा उनके विद्युत संयोजन का भार नही बढ़ाने एवं भार बढ़ाने के कार्य में टाला मटोली करने पर विद्युत विभाग के उपखण्ड अधिकारी की शिकायत उनके उच्चाधिकरियों से करने के विषय मे कहा गया था। जिसके चलते उनके पति सेदोषपूर्ण भावना रखते हुए। विद्युत विभाग के उपखण्ड अधिकारी ने उत्तराखण्ड विद्युत सप्लाइ कोड के नियमों का अनुपालन किए बिना एक गलत कार्यवाही के आधार पर उनके ऊपर विधि विरूद्ध तरीके से रू0. 11,01,641.00 का निर्धारण अधिरोपित किया गया है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा उनके प्रतिष्ठान पर चैक मीटर लगाने से पूर्व ना तो

क्रमशः.....03

उनको वैध जांच रिपोर्ट नहीं प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि विद्युत वितरण के द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत सप्लाई कोड के नियम 5.1.3 के उप—नियम 5 का अनुपालन नहीं किया गया है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा दिनांक 03.01.2025 को चैक मीटर फाईनल करते समय कोई मौके की वैध जांच रिपोर्ट उनके या उनके पति को उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिससे स्पष्ट है विद्युत विभाग के द्वारा उपरोक्त दिनांक 03.01.2025 को मौके पर कोई जांच नहीं की गई है। जिससे यह भी स्पष्ट है कि विद्युत विभाग के द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत सप्लाई कोड के नियम 5.1.3 के उप—नियम 7 का अनुपालन नहीं किया गया है। उनके द्वारा भार वृद्धि हेतु आवेदन दिनांक 18.01.2024 को किए जाने के पश्चात भी विपक्षीगण संयोजन पर भार वृद्धि करने के स्थान पर लगातार गलत तरीके से अतिरिक्त भार की पैनॉल्टी वसूल रहे हैं जो कि वर्तमान में भी जारी है। विद्युत विभाग का यह कृत्य स्पष्ट रूप से उत्तराखण्ड विद्युत सप्लाई कोड के नियम 5.2.3 के उप—नियम 4 का उल्लंघन है एवं निश्चित समावधि में उनके आवेदन का निस्तारण नहीं करना उत्तराखण्ड विद्युत सप्लाई कोड के नियम 4.1.1 के उप—नियम 5,6,7 व 8 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। उत्तराखण्ड विद्युत सप्लाई कोड के नियम 5.1.3 के उप—नियम 3 स्पष्ट रूप से कथन करता है कि विद्युत विभाग प्रत्येक 5 वर्ष में एल.टी. मीटर की जांच एव केलिब्रेटिंग करेगा। जो कि विद्युत विभाग के द्वारा उनके प्रतिष्ठान पर विद्युत संयोजन स्थापित होने कि दिनांक से कभी भी नही की गई है एवं उत्तराखण्ड विद्युत सप्लाई कोड के नियम 5.1.1 के उप—नियम 6 मे स्पष्ट रूप से वर्णित है कि, "It shall be the responsibility of license to maintain the meter and keep it in working order at all time." जिससे स्पष्ट है कि विद्युत विभाग ने जानबूझकर अपनी स्वयं की जिम्मेदारियों से बचने एवं उनका विद्युत भार न बढाने के स्थान पर उनके व उनके पति से दोषपूर्ण भावना रखते हुए गलत तरीके से निर्धारण कर उनके ऊपर अधिरोपित किया गया है। जिसके पश्चात उनके द्वारा पुनः दिनांक 22.08.2025 को अधिशासी अभियन्ता को उनके संयोजन के भार की वृद्धि हेतु एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसपर भी आज कि दिनांक तक कोई कार्यवाही नही की गई है। बल्कि इसके विपरित विद्युत विभाग के कर्मचारी (जे0ई0 एवं लाईनमैन) उनके प्रतिष्ठान पर आकर उनके ऊपर गलत तरीके से अधिरोपित की गई निर्धारण धनराशि रू0. 11,01,641.00 को जमा करने का अनुचित दबाव लगातार बना रहे है और निर्धारण धनराशि जमा नही करने की स्थिति में उनका विद्युत संयोजन विच्छेदित करने की धमकी दे रहे है। विद्युत विभाग द्वारा किए जा रहे कृत्य से उनको काफी मानसिक व आर्थिक हानि हो रही है। उनके प्रार्थना पत्र दिनांकित 22.08.2025 की छायाप्रति शिकायत पत्र के साथ संलग्न है। अतः मंच से अनुरोध है कि परिवादिनी को निम्न अनुतोष दिलाये जाने के आदेश पारित किये जायेः—

1. विद्युत विभाग को आदेशित करने की कृपा करे, कि वह प्रार्थिया के विद्युत भार वृद्धि आवेदन दिनांकित 18.01.2024 के आधार पर प्रार्थिया के विद्युत भार की वृद्धि अविलम्ब करे।
2. विद्युत विभाग के द्वारा उनके विरूद्ध गलत तरीके से अधिरोपित किए गये निर्धारण दिनांकित 01.08.2025 कुल मुबलिग रू0. 11,01,641.00 को निरस्त करने के आदेश पारित करने की कृपा करे।
3. विद्युत विभाग को आदेशित करने की कृपा करे, कि वह उनके विद्युत भार वृद्धि आवेदन दिनांकित 18.01.2025 प्रस्तुत करने के पश्चात उनसे वसूली गयी अतिरिक्त भार पेनल्टी या तो उनको वापिस लौटायी जाए या उनके अग्रिम बिलो में समायोजित किया जाए।
4. अन्य कोई अनुतोष जो मंच की राय में उचित हो वह भी उनको विद्युत विभाग से दिलाया जाए।

विद्युत विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 7079 दिनांकित 27.09.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि वादी का संयोजन JW0K00001664 SMT. RAJEEV RANI W/O SHYAM

क्रमशः......04

GOYAL, JAI AMBEY ICE MILLS, LODHA MANDI, JWALAPUR, विधा STN-72/NEW RTS-5 GENERAL LT INDUSTRY ABOVE 25 KW, स्वीकृत लोड 39KW/46 KVA, संयोजन का दिनांक 30-MAY-1986 से चला आ रहा है। उक्त संयोजन 0.4 के0वी0 पर है तथा जिस पर LT CT मीटर संख्या 19628490 स्थापित था व एम0एफ0 15 था। दिनांक 03.01.2025 को चैक मीटर फाईनल करने के उपरान्त मीटर संख्या 5136409 तथा एम0एफ0 20 है। वादी द्वारा संयोजन JW0K00001664 का लोड 39KW/46 KVA में 11KW लोड बढ़ाने के आवेदन किया था। जिसको दिनांक 02.02.2024 को Registration No. 812020224002 था। (वादी द्वारा Registration No. 812020224002 का एक पृष्ठ अपने वाद पत्र में संलग्न किया गया है।) जिसकी सूचना फोन नं0 7409316028 पर प्रेषित कर दी गयी थी। उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 28.02.2024 को रू0. 224000.00 वादी द्वारा जमा करने के लिए सूचना फोन नं0 7409316028 पर प्रेषित कर दी थी तथा दिनांक 26.04.2024 को रू0. 224000.00 का भुगतान वादी द्वारा जमा न करने के कारण Registration No. 812020224002 के आवेदन को Reject कर दिया गया। जिसकी सूचना वादी को फोन नं0 7409316028 पर प्रेषित कर दी थी अतः वादी द्वारा अपने वाद पत्र पैरा–3 में यह कहना कि *"आवेदन करने के पश्चात प्रार्थिया ने कुछ समय तक तो अपने द्वारा किए गये आवेदन के आधार पर विपक्षी विभाग के द्वारा भार बढाये जाने की कार्यवाही किए जाने का इंतजार किया। परन्तु विपक्षीगण के द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही नही किए जाने पर प्रार्थिया व उनके पति के द्वारा कई बार विपक्षीगण से अपने आवेदन पर कार्यवाही कर लोड बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी करनी चाही तो विपक्षीगण के द्वारा प्रार्थिया व उसके पति को कोई स्पष्ट जवाब नही दिया गया।"* विद्युत विभाग को स्वीकार नही है क्योंकि विद्युत विभाग द्वारा Registration No. 812020224002 की चरणवार सूचना वादी के फोन नं0 7409316028 पर प्रेषित की गयी। तथा वादी द्वारा Registration No. 812020224002 का एक पृष्ठ अपने वाद पत्र में संलग्न किया गया है। अतः स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने वाद–पत्र के पैरा–3 में किये गये कथन मनगढ़ंत व निराधार है। वादी के पास पूर्ण अधिकार है। यदि वादी को लग रहा था कि उसके लोड बढ़ाने के आवेदन पर कई कार्यवाही / स्पष्ट जानकारी नही दी जा रही है तो उच्च अधिकारियों को इस सम्बन्ध में लिखित शिकायत कर सकता था। परन्तु वादी द्वारा, वाद पत्र में शिकायत का कोई लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नही किया। जबकि विद्युत विभाग द्वारा Registration No. 812020224002 की चरणवार सूचना वादी के फोन नं0 7409316028 पर प्रेषित की गयी। तथा वादी द्वारा Registration No. 812020224002 का एक पृष्ट अपने वाद पत्र में संलग्न किया गया है। अतः स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने वाद–पत्र के पैरा–4 में किये गये कथन मनगढ़ंत व निराधार है। दिनांक 25.11.2024 को संयोजन संख्या JW0K00001664 के सापेक्ष मीटर संख्या–19628490 स्थापित है जिस पर चैक मीटर (चैक मीटर संख्या 5136409) सीलिंग प्रमाण–पत्र क्रमांक 1781 / 035 दिनांक 25.11.2024 के माध्यम से स्थापित किया गया था। सीलिंग प्रमाण–पत्र क्रमांक 1781 / 035 दिनांक 25.11.2024 पर वादी के पति के हस्ताक्षर है। तथा सीलिंग प्रमाण–पत्र क्रमांक 1781 / 035 दिनांक 25.11.2024 पर यह भी अंकित है कि "MRI Analysis में दो Phase में voltage Low (R&Y) होने के कारण Energy के सही मापन के लिए अतिरिक्त मीटर लगाया गया। आज सुबह उपभोक्ता को अतिरिक्त मीटर लगाने की जानकारी AE(M) द्वारा phone पर दी गयी।"

"दोनो मीटर की MRI कर ली गयी।"

"अतिरिक्त मीटर Test Bench से चैक किया हुआ लगाया गया।"

"पुराना cubical box damage हो रखा है। केवल R&Y phase में ही Load प्राप्त हुआ दोनों मीटर की MRI संलग्न है।,

क्रमशः.....05

(मीटर संख्या—19628490 की दिनांक 25.11.2024 एम0आर0आई0 मय फेजर संलग्न)
(चैक मीटर संख्या 5136409 की दिनांक 25.11.2024 एम0आर0आई0 मय फेजर संलग्न)
(चैक मीटर संख्या 5136409 की Test bench report संलग्न)

अतः उक्त से स्पष्ट है कि वादी को चैक / अतिरिक्त मीटर लगाने की सूचना AE(M) द्वारा phone पर दी गयी। तथा सीलिंग प्रमाण—पत्र क्रमांक 1781 / 035 दिनांक 25.11.2024 पर सभी जानकारी स्पष्ट रूप से लिखी गई थी तथा वादी के पति के द्वारा हस्ताक्षरित है। स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने वाद—पत्र के पैरा—5 में किये गये कथन मनगढ़ंत व निराधार है।

दिनांक 03.01.2025 को चैक मीटर फाईनल करते हुये वादी के पति को सीलिंग प्रमाण—पत्र क्रमांक 1781 / 039 दिनांक 03.01.2025 दिया गया जोकि वादी के पति के द्वारा हस्ताक्षरित है। तथा उक्त मेन मीटर के द्वारा चैक मीटर की तुलना में 46.25% KVAH में धीमा विद्युत खपत को रिकोर्ड किया जा रहा था। तथा सीलिंग प्रमाण—पत्र क्रमांक 1781 / 039 दिनांक 03.01.2025 पर यह भी अंकित है कि "अतिरिक्त मीटर फाईनल किया अतिरिक्त मीटर को Main Meter के रूप में छोड़ा गया। पुराने मीटर का Push बटन खराब हो रखा है। दोनों मीटरो की MRI कर ली गयी। उपभोक्ता / उपभोक्ता प्रतिनिधि को अतिरिक्त मीटर की Testing Report व Sealing Report दी गयी।"

" Old cubical box damage हो रखा है। so can not used again "

" R&Y phase का Pressure का तार carbonized था पुराने मीटर का।"

"पुराने मीटर में R&Y phase की voltage low है।"

अतः अक्त से स्पष्ट है कि वादी को चैक / अतिरिक्त मीटर फाईनल की जानकारी सीलिंग प्रमाण—पत्र क्रमांक 1781 / 039 दिनांक 03.01.2025 के माध्यम से सभी जानकारी स्पष्ट रूप से लिखी गई थी। बिन्दु 2 व 3 के अनुसार, दिनांक 26.04.2024 को रू0. 224000.00 का भुगतान वादी द्वारा जमा न करने के कारण Registration No. 812020224002 के आवेदन को Reject कर दिया गया। जिसकी सूचना वादी को फोन नं0 7409316028 पर प्रेषित कर दी थी अतः स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने वाद—पत्र के पैरा 7 में किये गये कथन मनगढ़ंत व निराधार है। दिनांक 26.07.2025 को वादी का संयोजन JW0K00001664 पर मीटर संख्या 5136409 को उतारकर स्मार्ट मीटर संख्या 5172048 स्थापित किया गया। तथा वादी के पति के द्वारा हस्ताक्षरित है। बिन्दु 2 व 3 के अनुसार, दिनांक 26.04.2024 को रू0. 224000.00 का भुगतान वादी द्वारा जमा न करने के कारण Registration No. 812020224002 के आवेदन को Reject कर दिया गया। जिसकी सूचना वादी को फोन नं0 7409316028 पर प्रेषित कर दी थी तथा पत्रांक 5547 दिनांक 01.08.2025 के माध्यम से Check meter assessment Rs. 1101641.00 वादी को डाक द्वारा प्रेषित करने की डाक रसीद संलग्न है। पत्रांक 5547 दिनांक 01.08.2025 को डाक से प्रेषित करने की डाक रसीद संलग्न है। पत्रांक 5547 दिनांक 01.08.2025 को वादी द्वारा दिनांक 20.08.2025 को खण्ड कार्यालय में आकर by hand भी प्राप्त किया गया था। जिसकी receiving संलग्न है। उपरोक्त बिन्दु—5 व बिन्दु—6 से स्पष्ट है कि संयोजन संख्या JW0K00001664 के सापेक्ष मीटर संख्या—19628490 स्थापित है जिस पर चैक मीटर (चैक मीटर संख्या 5136409) सीलिंग क्रमांक 1781 / 035 दिनांक 25.11.2024 के माध्यम से स्थापित किया गया था। सीलिंग क्रमांक 1781 / 039 दिनांक 03.01.2025 के अनुसार विद्युत परीक्षणशाला, मायापुर, हरिद्वार द्वारा चैक मीटर फाईनल करते हुये अवगत कराया गया कि उपरोक्त संयोजन पर स्थापित उक्त मेन मीटर के द्वारा चैक मीटर की तुलना में 46.25% KVAH में धीमा विद्युत खपत को रिकोर्ड किया जा रहा था। तथा कार्यालय ज्ञाप 5545 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा वादी के संयोजन JW0K00001664 पर रू0. 1101641. 00 का आगामी माह के बीजक में जोड दिया गया। मेन मीटर संख्या 19628490 के फेजर दिनांक

04.12.2023, 04.01.2024, 07.03.2024, 05.04.2024, 04.05.2024, 07.06.2024, 05.07.2024, 04.08.2024, 07.09.2024, 05.10.2024, 25.11.2024 तथा 03.01.2025 के अनुसार R–फेज व Y–फेज में वोल्टेज पूर्ण रिकॉर्ड नही की जा रही थी। उक्त से स्पष्ट है वादी का लोड बढ़ाने का आवेदन, दिनांक 26.04.2024 को रू0. 224000.00 का भुगतान जमा न करने के कारण Registration No. 812020224002 के आवेदन को Reject कर दिया गया था। जिसकी सूचना वादी को फोन नं0 7409316028 पर प्रेषित कर दी थी। तथा पत्रांक 5547 दिनांक 01.08.2025 के माध्यम से Check meter assessment Rs. 1101641.00 वादी को डाक द्वारा प्रेषित किया गया। पत्रांक 5547 दिनांक 01.08.2025 को डाक से प्रेषित करने की डाक रसीद संलग्न है। पत्रांक 5547 दिनांक 01.08.2025 को वादी द्वारा दिनांक 20.08.2025 को खण्ड कार्यालय में आकर by hand भी प्राप्त किया गया था। जिसकी receiving संलग्न है। उपरोक्त बिन्दु–5 व बिन्दु संख्या–6 से स्पष्ट है कि संयोजन संख्या JW0K00001664 के सापेक्ष मीटर संख्या–19628490 स्थापित है जिस पर चैक मीटर (चैक मीटर संख्या 5136409) सीलिंग क्रमांक 1781 / 035 दिनांक 25.11.2024 के माध्यम से स्थापित किया गया था। सीलिंग क्रमांक 1781 / 039 दिनांक 03.01.2025 के अनुसार विद्युत परीक्षणशाला, मायापुर, हरिद्वार द्वारा चैक मीटर फाईनल करते हुये अवगत कराया गया कि उपरोक्त संयोजन पर स्थापित उक्त मेन मीटर के द्वारा चैक मीटर की तुलना में 46.25% KVAH में धीमा विद्युत खपत को रिकोर्ड किया जा रहा था। तथा कार्यालय ज्ञाप 5545 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा वादी के संयोजन JW0K00001664 पर रू0. 1101641.00 का आगामी माह के बीजक में जोड दिया गया।

उक्त के प्रतिउत्तर में परिवादी द्वारा प्रतिउत्तर पत्र प्रेषित कर कथन किया गया है कि:–

1. यह कि, विपक्षी विभाग के द्वारा झूठे एवं मनगढंत तथ्यो के आधार पर अपने कर्मचारियो के द्वारा गलत एवं विधि विरूद्ध तरीके से शिकायतकर्ता के ऊपर की गई कार्यवाही को सही दर्शाने के उद्देश्य से उत्तर पत्र पत्रांक संख्या–7079 / वि0वि0ख0 / ज्वा0 / ह0 / CGRF/C-8/E.E. दिनांकित 27.09.2025 माननीय मंच के समक्ष दाखिल किया है, जो कि हर सूरत मे निरस्त होने योग्य है।
2. यह कि, उत्तर पत्र के पैरा संख्या–01 के संदर्भ में प्रार्थी को कोई कथन नही करना है।
3. यह कि, विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र के पैरा संख्या–02, 03 में वर्णित समस्त कथन सरासर मिथ्या एवं मनगढंत तथ्यो के आधार पर अंकित किया गया है, जिसका सत्यता से कोई मतलब वास्ता नही है। विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र के पैरा संख्या–02 मे कथन किया है कि उनके द्वारा वादी को उनके विद्युत संयोजन के भार वृद्धि के संबंध मे सूचना फोन के माध्यम से दी गई थी। जबकि विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र के साथ ऐसा कोई साक्ष्य या ऐसी कोई सूचना की प्रति संलग्न नही की गई कि उनके द्वारा कौन सी सूचना किस माध्यम से किस दिनांक को किस समय वादी को उसके फोन पर प्रदान की गई थी। इसके अलावा विपक्षी विभाग वादी को दिनांक 28.02.2024 में रू0. 2,24,000.00 के संबंध मे फोन के माध्यम से सूचना प्रेषित किए जाने का कथन करता है। जबकि इस संबंध में विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में ऐसा कोई दस्तावेज या कोई ऐसा फोन पर सूचना दिए जाने की कोई प्रति या उसका कोई विवरण दाखिल नही किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके, कि उनके द्वारा वास्तविकता में वादी को उक्त रकम का भुगतान किए जाने के संबंध में सूचना प्रेषित की थी एवं विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र के साथ जो संलग्नक पृष्ठ संख्या–12 संलग्न कर सूचना प्रेषित किए जाने का साक्ष्य होने का कथन किया है उक्त पृष्ठ संख्या–12 पर कही पर भी उस को तैयार किए जाने की कोई दिनांक या वादी को प्रेषित किए जाने की दिनांक या वादी को प्रेषित किए जाने का माध्यम अंकित नही है एवं उक्त पृष्ठ संख्या–12 पर Printed on 22-sep-2025 अंकित है जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग के द्वारा ऐसी कोई सूचना वादी को प्रेषित ही नही की गई बल्कि इसके विपरीत विपक्षी

क्रमशः.....07

विभाग ने अपने द्वारा की गई गलत कार्यवाही को सही दर्शाने के उद्देश्य से वादी के द्वारा वाद दायर करने के उपरान्त मिथ्या तैयार कर माननीय आयोग के समक्ष दाखिल किया है।

4. यह कि, विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र के पैरा संख्या–02 मे यह कथन भी अंकित किया है कि, उनके द्वारा वादी का लोड वृद्धि आवेदन दिनांक 26.04.2024 को वादी द्वारा रू0. 2,24,000.00 जमा नही करने के कारण Reject कर दिया गया था। जबकि विपक्षी विभाग के द्वारा आज तक वादी को उसके आवेदन को निरस्त किए जाने की सूचना किसी भी माध्यम से प्रेषित नही की है। जबकि इसके विपरित विभाग का यह कथन है कि उनके द्वारा वादी को फोन के माध्यम से सूचना प्रेषित कर दी गई थी एवं उसके समर्थन में विभाग के द्वारा उपने उत्तर पत्र के साथ पृष्ठ संख्या–13 संलग्न किया है। जबकि वास्तविकता में लोड वृद्धि आवेदन निरस्त किए जाने के संबंध में विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र के साथ साक्ष्य के रूप मे ऐसा कोई दस्तावेज या कोई ऐसा फोन पर सूचना दिए जाने की कोई प्रति या उसका कोई विवरण दाखिल नही किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके, कि उनके द्वारा वास्तविकता में वादी को उक्त रकम का भुगतान नही किए जाने के कारण वादी का आवेदन निरस्त करने की सूचना वादी को प्रेषित कर दी गई थी एवं विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र के साथ जो संलग्नक पृष्ठ संख्या–13 संलग्न कर सूचना प्रेषित किए जाने का साक्ष्य होने का कथन किया है उक्त पृष्ठ संख्या–13 पर कही पर भी उस को तैयार किए जाने की कोई दिनांक या वादी को प्रेषित किए जाने की दिनांक या वादी को प्रेषित किए जाने का माध्यम अंकित नही है। एवं उक्त पृष्ठ संख्या–13 पर Printed on 22-Sep-2025 अंकित है जिससे स्पष्ट है कि, विपक्षी विभाग के द्वारा ऐसी कोई सूचना वादी को प्रेषित ही नही की गई बल्कि इसके विपरीत विपक्षी विभाग ने अपने द्वारा की गई गलत कार्यवाही को सही दर्शाने के उद्देश्य से वादी के द्वारा वाद दायर करने के उपरांत मिथ्या साक्ष्य तैयार कर माननीय आयोग के समक्ष दाखिल किया है।

5. यह कि विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र के पैरा संख्या–03 में कथन किया है कि, वादी में ने वाद पत्र के पैरा संख्या–03 में जो कथन अंकित किए है वह विद्युत विभाग को स्वीकार नही है एवं उनके द्वारा समस्त सूचना वादी को उसके फोन पर प्रदान की गई थी एवं वादी के द्वारा अपने वाद पत्र के साथ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर संलग्न किया है। जबकि वादी ने अपने रजिस्ट्रेशन संख्या के बारे में जानकारी नही होने के संबंध में वादी द्वारा अपने सम्पूर्ण वाद पत्र में कही पर अंकित नही किया है। विद्युत विभाग के द्वारा वादी को मात्र उसके आवेदन के पंजीकरण के उपरांत भुगतान किए जाने एवं उसके आवेदन निरस्त किए जाने के संबंध में कभी कोई सूचना प्रेषित नही की और ना ही विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र के साथ ऐसा कोई साक्ष्य संलग्न किया हैं जिससे यह सिद्ध हो सके कि उनके द्वारा वादी को वास्तविकता में सूचना प्रेषित की थी।

6. यह कि, उत्तर पत्र में के पैरा संख्या–04 में वर्णित कथन अस्वीकार है एवं पूर्णतः झूठे कथनो पर आधारित है। जबकी वादी के वाद पत्र के पैरा संख्या–04 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि, वादिया के पति ने नवम्बर 2024 में विपक्षी विभाग के कर्मचारियो को वादी को उसके लोड वृद्धि आवेदन के सम्बंध में जानकारी नही दिए जाने एवं उनके द्वारा करे जा रहे कृत्य के विषय में उनके उच्चाधिकारियो को शिकायत करने के विषय में बोला था जिसके उपरांत दिनांक 25.11.2024 को विपक्षी विभाग के कर्मचारी वादी के प्रतिष्ठान पर आये और विद्युत भार बढाये जाने की कार्यवाही करने के नाम पर एक चैक मीटर स्थापित कर चले गये जिससे वादी एवं उसके पति को लगा कि विपक्षी विभाग के द्वारा विद्युत भार बढाये जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है जिसके चलते वादी के द्वारा कोई शिकायत विभाग के उच्चाधिकारियों को नही की एवं विभाग के द्वारा भुगतान किए जाने या आवेदन निरस्त किए जाने के संबंध में कोई सूचना वादी को कभी भी प्रेषित नही की।

7. यह कि, विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र के पैरा संख्या—05 में अंकित किया है कि, उनके द्वारा चैक मीटर लगाने की सूचना वादी को फोन पर दी गयी थी। जिसके संबंध में सीलिंग रिपोर्ट दिनांकित 25.11.2024 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। उपभोक्ता को चैक मीटर स्थापित किए जाने के संबंध में सूचना प्रदान किए जाने हेतु उत्तराखण्ड विद्युत सप्लाई कोड के चैप्टर 5 "METERING AND BILLING" का नियम 5.1.3 "Testing of Meters" का उप—नियम 5 स्पष्ट करता है कि, "The licensee shall, within 30 days of receiving the complaint, carry out testing of the meter as per the procedure specified in these regulation and shall furnish duly authenticated test result to the consumer. The consumer shall be informed of the proposed date and time of testing at least 2 days in advance. जबकि सीलिंग रिपोर्ट दिनांकित 25.11.2024 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि, "आज सुबह उपभोक्ता को अतिरिक्त मीटर लगाने की जानकारी AE(M) द्वारा फोन पर दी गयी। जिससे स्पष्ट है कि, विपक्षी विभाग के द्वारा नियमों का अनुपालन नही करते हुए चैक मीटर लगाने की विधि विरूद्ध कार्यवाही वादी के प्रतिष्ठान पर की है, और ना ही चैक मीटर लगाने की कोई वैध जॉच रिपोर्ट विपक्षी विभाग के द्वारा वादी को दी गई। जिसके संबंध में विद्युत सिप्लाई कोड के चैप्टर "METERING AND BILLING" का नियम 5.1.3 "Testing of Meters" का उप—नियम 4 स्पष्ट करता है कि, Provided that where the Licensee is installing a test/check meter alongwith the meter under test for verification of energy consumption, in such case the Licensee shall be required to provide a copy of the valid test report of such test/check meter to the consumer before initiating the testing."

8. यह कि, विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र के पैरा संख्या—05 में यह कथन भी किया है कि उनके द्वारा मौके पर एम0आर0आई कर उसे सीलिंग रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया। जबकि विपक्षी विभाग के द्वारा मौके पर ना तो कोई एम0आर0आई0 की और ना ही उक्त एम0आर0आई0 को सीलिंग रिपोर्ट के साथ संलग्न किया और ना ही किसी ऐसी एम0आर0आई0 रिपोर्ट की प्रति विपक्षी विभाग के द्वारा वादी या उसके पति को प्रदान की गयी। जबकि विपक्षी विभाग के द्वारा वादी के पति को जो सीलिंग रिपोर्ट प्रदान की गयी है उसमें कही पर भी एम0आर0आई0 रिपोर्ट संलग्न किए जाना अंकित नही है जबकि विपक्षी विभाग के उत्तर पत्र के साथ संलग्न पृष्ठ संख्या—14 में उक्त एम0आर0आई0 संलग्न किया जाना अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग ने कर्मचारियों के द्वारा की गई कार्यवाही को सही दर्शाने के उद्देश्य से वादी के वाद दायर करने के उपरांत मिथ्या साक्ष्य तैयार कर माननीय आयोग के समक्ष दाखिल किए है एवं विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र के साथ जो एम0आर0आई0 रिपोर्ट संलग्न की है उक्त रिपोर्ट में दिनांक 24.07.2025 को रिपोर्ट जनरेट किया जाना अंकित है एवं उक्त किसी भी रिपोर्ट पर किसी जारीकर्ता / जरनरेटकर्ता कर्मचारी / अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। जिस कारण उक्त समस्त रिपोर्ट अपठनीय साक्ष्य की श्रेणी में आती है।

9. यह कि, विपक्षी विभाग के उत्तर पत्र का पैरा संख्या—06 का समस्त कथन मिथ्या एवं मनगढंत तथ्यो के आधार पर अंकित किया गया है। विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र के पैरा संख्या—06 में अंकित किया है कि, वादी के मेन मीटर में चैक मीटर की तुलना में 46.25% KVAH धीमा विद्युत खपत रिकॉर्ड किया जा रहा था। विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र के पृष्ठ संख्या—29 एवं 30 संलग्न किया है। जबकि सीलिंग प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या—29 दिनांकित 03.01.2025 में यह कही पर भी अंकित नही है वादी का मेन मीटर धीमा विद्युत खपत रिकॉर्ड कर रहा था। एवं विपक्षी विभाग के पृष्ठ संख्या—29 में कथन भी अंकित है कि, "Both meter MRI Report enclosed". जबकि विपक्षी विभाग के द्वारा मौके पर ना तो कोई मीटर की एम0आर0आई0 की और ना ऐसी कोई एम0आर0आई0 की प्रति सीलिंग रिपोर्ट के साथ संलग्न

की और ना ही ऐसी कोई एम0आर0आई0 रिपोर्ट की प्रति विपक्षी विभाग के द्वारा वादी या उसके पति को प्रदान की गई। जबकि विपक्षी विभाग के द्वारा वादी को जो सीलिंग रिपोर्ट दिनांकित 03.01.2025 प्रदान की है उक्त सीलिंग रिपोर्ट दिनांकित 03.01.2025 में "Both meter MRI Report enclosed" कही पर भी अंकित नही है एवं पृष्ठ संख्या—30 पर किसी भी कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। जिससे स्पष्ट है कि, विपक्षी विभाग के द्वारा मौके पर कोई एम0आर0आई0 नही की और जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग ने कर्मचारियों के द्वारा की गई कार्यवाही को सही दर्शाने के उद्देश्य से वादी के वाद दायर करने के उपरांत मिथ्या साक्ष्य तैयार कर माननीय आयोग के समक्ष दाखिल किए है एवं विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र के साथ जो एम0आर0आई0 रिपोर्ट संलग्न की है उक्त रिपोर्ट में दिनांक 24.07.2025 को रिपोर्ट जनरेट किया जाना अंकित है एवं उक्त किसी भी रिपोर्ट पर किसी जारीकर्ता/जरनरेटकर्ता कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। जिस कारण उक्त समस्त रिपोर्ट अपठनीय साक्ष्य की श्रेणी में आती है।

10. यह कि, मीटर की जॉच उरांत जॉच रिपोर्ट तैयार किए जाने एवं उपभोक्ता को जॉच रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने के संबंध में विद्युत सप्लाई कोड के चैप्टर 5 "METERING AND BILLING" का नियम 5.1.3 "Testing of Meters" का उप—नियम 6, "The meter testing team of the Licensee shall ensure testing with resistive load of sufficient capacity to carry out the testing. The testing of meter shall be done for a minimum consumption of 1 kwh. Suitable Scanner shall be used for counting the pulses. The meter testing report shall be in the format given in Annexure-VIII." व उपनियम 11, "Wherever the testing og meter is being done, signature of the consumer, or his authorized representative, if present, would be obtained on the Test Report and a copy therefore shall be supplied to the consumer." प्रावधानवित करता है। उपरोक्त वर्णित दोनो नियमो के अनुपालन किए जाने के संदर्भ में विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र में कोई कथन नही किया गया है। उप—नियम 6 का अनुपालन किए जाने के संबंध में विपक्षी विभाग के द्वारा Annexure-VIII के प्रारूप में तैयार की गई अपनी रिपोर्ट की कोई प्रति अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न नही की गई है। जिससे स्पष्ट है कि, विपक्षी विभाग के द्वारा मौके पर जॉच कर कोई जॉच रिपोर्ट तैयार नही की गई है। जिसके चलते ही उप—नियम 11 के अनुपालन में ऐसी किसी जॉच रिपोर्ट की प्रति वादी या उसके पति को उपलब्ध नही कराई गई है। जिससे स्पष्ट है कि, विपक्षी विभाग ने मनमाने ढंग से एवं विधि विरूद्ध तरीके से वादी के विरूद्ध झूठी एवं फर्जी कार्यवाहीयॉ की है। ताकि उन्हे वादी के विद्युत संयोजन के विद्युत भार की वृद्धि ना करनी पडे और वह वादी से गलत तरीके से वसूला गया अतिरिक्त भार का पेनाल्टी शुल्क अग्रिम रूप से भी लगातार वसूलते रहे।

11. यह कि, विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पर के पैरा संख्या—07 में जो कथन अंकित किए है वह समस्त कथन झूठे मिथ्या एवं मनगढंत तथ्यो के आधार पर अंकित किए गए है। विपक्षी विभाग के द्वारा वादी को विद्युत भार वृद्धि के भुगतान के संबंध में एवं उसका विद्युत भार वृद्धि आवेदन निरस्त किए जाने के संबंध में कोई सूचना किसी प्रकार से नही की और ना ही वादी को सूचना प्रदान किए जाने का कोई साक्ष्य विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न किया है।

12. यह कि, विपक्षी विभाग के उत्तर पत्र के पैरा संख्या—08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 मे वर्णित समस्त कथन झूठे एवं मनगढंत तथ्यो के आधार पर अंकित है जिनका सत्यता से कोई मतलब वास्ता नही है। जबकि वास्तविकता में विपक्षी विभाग ने वादी को उसके विद्युत भार वृद्धि आवेदन के भुगतान के संबंध मे कोई सूचना किसी भी प्रकार से प्रदान नही की एवं वादी के द्वारा दिनांक 18.01.2024 को भार वृद्धि हेतु आवेदन किए जाने के उपरांत भी विपक्षी विभाग के द्वारा लगातार अतिरिक्त भार पेनाल्टी वादी से लगातार

वसूली गयी है। जबकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2020 के चैप्टर संख्या–5 (मीटरिंग एण्ड बिलिंग) का नियम संख्या–5.2.3 (एक्सेस लोड / डिमांड पैनाल्टी) का उपनियम 4 स्पष्ट करता है कि, "The penal charge for excess load/demand shall not be applicable to the consumer who have sunmitted their duly filled application for the appropriate load enhancement (along with the requisite documents & amount) from the next billing cycle." जबकि उक्त नियम का अनुपालन नही करते हुए विपक्षी विभाग के द्वारा वादी के ऊपर भार बढ़ाने का आवेदन किए जाने के उपरांत भी विधि विरूद्ध तरीके से पेनाल्टी लगातार लगाई जा रही है। जो कि नियमों के विरूद्ध है।

13. यह कि, विपक्षी विभाग के द्वारा वादी के भार वृद्धि आवेदन को निरस्त करने का कारण वादी द्वारा रू0. 2,24,000.00 जमा नही करना अपने उत्तर पत्र के बिन्दु संख्या–2 में कथित किया गया है। जबकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2020 का चैप्टर संख्या–4 (प्रोसिजर फोर एन्हानसमेंट / रिडयूशन इन कॉन्ट्रेक्टिड लोड) किसी भी विद्युत संयोजन के भार वृद्धि या कमी की प्रक्रिया को प्रावधानवित करता है। जिसके नियम 4.1.1 (जरनल) के उपनियम 3 में, "The consumer Seeking enhancement/reduction in lond at the same voltage level shall apply to the distribution licensee in the form given at Annexure-VII which shall be made available free of cost at licensee sub-divison/Division or any other office alongwith the proof of payment of the latest bill. The form can also be download from the Licensee's website or even photocopied." वर्णित है, जिससे स्पष्ट है कि, वादी के द्वारा अपना सम्पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र विपक्षी विभाग के समक्ष दिनांक 18.01.2024 को बिल्कुल नियमानुसार दाखिल किया गया था। जिसके उपरांत उसमे किसी प्रकार कमी नही पाते हुए विपक्षी विभाग के द्वारा वादी के आवेदन को दर्ज कर पंजीकरण संख्या–812020224002 आवंटित किया गया था।

14. यह कि, नियम 4.1.1 का उपनियम 6 प्रावधानवित करता है कि, "The procedure and condition for the grant of new connection sa specified in sub-regulation 3.3.1 to sub regulation 3.3.3 for LT Connection and sub-regulation 3.4.1 to sub-regulation 3.4.3 for HT/EHT connections shall be followed for enhancement/reduction of contracted load and the penalty payable by the distribution Licensee for delay in effecting enhancement/reduction of conracted load shall be payable @ Rs. 100/- for each day of default for LT consumer and @ Rs. 500 for each day of default for HT/EHT consumer subject to maximum of Rs. 1,00,000.00." जिससे स्पष्ट है कि, वादी का विद्युत संयोजन " संयोजन होने के स्थिति में भार वृद्धि / कमी किए जाने की प्रक्रिया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2020 के चैप्टर 3 (रीलिज ऑफ न्यू कनेक्शन) के नियम 3.4 (एच0टी0 / ई0एच0टी0) के उपनियम 3.4.1 से 3.4.3 तक वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अमल में लाई जाएगी।

15. यह कि, वादी के द्वारा अपना भार वृद्धि का आवेदन दिनांकित 18.01.2024 में पूर्ण रूप से भरकर एवं समस्त वांछित दस्तावेज संलग्न कर दाखिल किया था जिसकारण नियम 3.4.3 (प्रोसेसिंग ऑफ एप्लिकेशन एण्ड एक्सिक्यूशन ऑफ वर्क बाय डिस्ट्रीब्यूशन लाईसेंसी) के उप नियम 02 व 03 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार वादी के भार वृद्धि के आवेदन को विपक्षी विभाग के द्वारा निस्तारित किया गया चााहिए था। उक्त नियम के उपनियम 01 में वर्णित है कि, On receipt of duly filed application form, the authorized officer of the distribution licensee shall sheck the application form and deficiencies, if any, observed in the application shall be got rectified from the applicant immediately. The authorized officer of the distribution licensee shall register the application with unique application number/registration number and issue a dated acknowledgement of the receipt of application." जिसके उपरांत उपनियम 03 में वर्णित है कि, "Subsequent to issuance of acknowledgement, Distribution Licensee shall ascertain

whether any dues are outstanding on the premises and, if so, the distribution Licensee shall issue a demand note within 5 days from the date of receipt of application form giving full details of sush outstanding amount and 15 days time for depositing the same.

Provided that if the applicant does not receive the any deficiency note or demand note for the outstanding dues within 5 days from the date of receipt of application, the Licensee shall not deny grant of the connection of this ground. जिससे स्पष्ट है कि, विपक्षी विभाग के द्वारा नियमो का उल्लघंन करते हुए एवं बिना कोई सूचना वादी को प्रेषित किए वादी का विद्युत वृद्धि आवेदन गलत तरीके से निरस्त किया है एवं जिसकी भी कोई सूचना विपक्षी विभाग के द्वारा वादी को प्रेषित नही की गयी है। जबकि अकारण शिकायतकर्ता कम्पनी का भार वृद्धि आवेदन लम्बित रखने के चलते विपक्षी विभाग को नियम 4.1.1 के उपनियम 06 के अनुसार शिकायतकर्ता कम्पनी को रू0. 500.00 प्रतिदिन के हिसाब दण्ड शुल्क अदा किया जाना चाहिए। जबकि वादी के द्वारा अपने विद्युत लोड को बढाये जाने के लिए दिए गये आवेदन दिनांकित 18.01.2024 पर कार्यवाही किए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22.08.2025 को विपक्षी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसपर भी विपक्षी के द्वारा ना तो कोई कार्यवाही की गई और ना ही वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय विपक्षी विभाग के द्वारा वादी को उनके आवेदन के निरस्त होने के संबंध में कोई सूचना दी गई। प्रार्थना पत्र दिनांकित 22.08.2025 की छायाप्रति प्रति उत्तर पत्र के साथ संलग्नक संख्या–01 पर संलग्न है।

16. यह कि, विपक्षी विभाग के द्वारा लगातार किए जा रहे कृत्य से स्पष्ट है कि, विपक्षी विभाग ने अपने स्वयं के अधिकारियो एवं कर्मचारियो की गलतीयो को छिपाने के उद्देश्य से बचने के उद्देश्य से वादी के विरूद्ध गलत झूठी एवं फर्जी कार्यवाहियॉ कि है। जिनका सत्यता से कोई मतलब वास्ता नही है। जबकि विद्युत सप्लाई कोड 2020 का नियम 5.1.1 के उप–नियम 6 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि "It shall be the responsibility of licensee to maintain the meter and keep it in working order all time." जिससे स्पष्ट है कि, विद्युत मीटर को हर समय चालू हालत मे रहने एवं उसके रख रखाव की समस्त जिम्मेदारी विपक्षी विभाग की है। अपनी जिम्मेदारियों से बचने के चलते विपक्षी विभाग के द्वारा वादी के ऊपर गलत तरीक निर्धारण दिनांकित 01.08.2025 कुल मुबलिग 11,01,641.00 रूपये अधिरोपित कर दिया गया है। जो कि हर सूरत में निरस्त होने योग्य है।

17. यह कि, विपक्षी विभाग के द्वारा वादी के विरूद्ध जो निर्धारण दिनांकित 01.08.2025 अधिरोपित किया गया है। उक्त निर्धारण दिनांकित 01.08.2025 में कही पर भी यह अंकित नही किया गया है कि, उनके द्वारा वादी के विरूद्ध किस दिनांक, माह, वर्ष से किस दिनांक, माह, वर्ष तक का निर्धारण किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि, विपक्षी विभाग के द्वारा वादी के विरूद्ध गलत तरीके से निर्धारण अधिरोपित किया गया है। जो कि निरस्त होने योग्य है।

अतः मंच से अनुरोध है कि, उपरोक्त तथ्यों के अलावा अन्य तथ्यो के आधार पर भी विपक्षी विभाग का उत्तर पत्र निरस्त करने, शिकायतकर्ता का परिवाद स्वीकार करने, विपक्षी विभाग के द्वारा शिकायतकर्ता कम्पनी के ऊपर अधिरोपित निर्धारण दिनांकित 01.08.2025 कुल मुबलिग 11,01,641.00 रूपये निरस्त करने, वादी के विद्युत भार आवेदन दिनांकित 18.01.2024 के आधार पर वादी के विद्युत भार की वृद्धि करने एवं वादी से अतिरिक्त विद्युत भार की पेनाल्टी जो आवेदन किए जाने के उपरांत गलत तरीके से वसूली गयी है उसको वादी के आगामी बिलो में समायोजित करने एवं वादी के विद्युत भार वृद्धि करने से अकारण किए गये विलम्ब के कारण विपक्षी विभाग को नियमों के अनुरूप दण्डित करने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

परिवादिनी के प्रतिनिधि द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 05.12.2025 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि, उनके द्वारा परिवाद उपरोक्त विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर के अधिशासी अभियंता के विरूद्ध उनके व

क्रमशः.....12

उनके कर्मचारियों के द्वारा, उनके विद्युत संयोजन पर, गलत कार्यवाही किए जाने एवं गलत निर्धारण किए जाने के सम्बंध मे योजित किया है। विपक्षी विभाग के द्वारा, मंच के समक्ष अपना जवाबदावा दिनांकित 27.09.2025 को दिनांक 25.11.2024 व दिनांक 03.01.2025 को दो कार्यवाही करने के विषय मे, अवगत काराया गया है एवं उनके द्वारा, उनके जवाबदावा के साथ, दिनांक 25.11.2024 की सीलिंग रिपोर्ट पृष्ठ संख्या–14 एवं दिनांक 03.01.2025 की सीलिंग रिपोर्ट पृष्ठ संख्या–29 पर संलग्न की है। दिनांक 25.11.2024 की सीलिंग रिपोर्ट, जो विपक्षी विभाग के द्वारा संलग्न की गई है, उसमे स्पष्ट रूप से अंकित है कि, "केवल R & Y Phase में ही Load प्राप्त हुआ दोनों मीटर की MRI संलग्न है।" जबकि उसके विपरीत विपक्षी विभाग के द्वारा उनके पति को दिनांक 25.11.2024 की सीलिंग रिपोर्ट की जो कार्बन प्रति उपलब्ध कराई गई है, उक्त सीलिंग रिपोर्ट मे, एम0आर0आई0 रिपोर्ट संलग्न किए जाने का कोई उल्लेख अंकित नही किया गया है, उनको प्राप्त सीलिंग रिपोर्ट दिनांकित 25.11.2024 की कार्बन प्रति की छायाप्रति प्रार्थना पत्र के साथ पर संलग्न है। इसके अलावा विपक्षी विभाग के द्वारा, दिनांक 03.01.2025 की जो सीलिंग रिपोर्ट अपने जवाबदावा के साथ पृष्ठ संख्या–29 पर, संलग्न की गई है। उसमे भी स्पष्ट रूप से संलग्न है कि, "Both meter MRI Report Enclosed" जबकि इसके विपरीत विपक्षी विभाग के द्वारा, उनके पति को दिनांक 03.01.2025 की सीलिंग रिपोर्ट की जो कार्बन प्रति उपलब्ध कराई गई है, उक्त सीलिंग रिपोर्ट में एम0आर0आई0 रिपोर्ट संलग्न किए जाने का कोई उल्लेख अंकित नहीं किया गया है, उनको प्राप्त सीलिंग रिपोर्ट दिनांकित 03.01.2025 की कार्बन प्रति की छायाप्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जिससे स्पष्ट है कि, विपक्षी विभाग के द्वारा उनको प्रतिष्ठान पर उक्त दोनों दिनांकों पर, कोई एम0आर0आई0 नहीं की गई एवं उनके द्वारा, उनके परिवाद पत्र में इस कथन का उल्लेख करने पर विपक्षी विभाग के द्वारा अपने कार्य को सही दर्शाने के उद्देश्य से विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता श्री रवि कुमार के द्वारा सहायक अभियंता (मीटर) श्री मनोज कुमार के साथ मिलकर आपस में, साज करके उक्त दोनो सीलिंग रिपोर्ट दिनांकित 25.11.2024 एवं 03.01.2025 मे छेडछाड कर एवं उक्त दोनों सीलिंग रिपोर्ट को मिथ्या साक्ष्य के रूप में तैयार कर उक्त दोनों दस्तावेजों को मिथ्या साक्ष्य के रूप में अधिशासी अभियंता, श्री रवि कुमार ने, अपने स्वः हस्ताक्षरित जवाबदावा दिनांकित 27.09.2025 के साथ पृष्ठ संख्या–14 व 29 पर, संलग्न कर मंच के समक्ष दाखिल किया है। इसमे यह भी स्पष्ट है कि, अधिशासी अभियंता, श्री रवि कुमार के द्वारा झूठे एवं मिथ्या कथनो के आधार पर आधारित कर जवाबदावा मंच के समक्ष दाखिल किया है एवं अपने कथनो को सिद्ध करने के उद्देश्य से अधिशासी अभियंता, श्री रवि कुमार ने जानबूझकर, सहायक अभियंता (मीटर), श्री मनोज कुमार के साथ मिलकर दस्तावेजों मे छेडछाड कर उनका मिथ्या साक्ष्य के रूप में, उपयोग मंच के समक्ष किया है। जिसकारण अधिशासी अभियंता, श्री रवि कुमार व सहायक अभियंता (मीटर), श्री मनोज कुमार के द्वारा, किए गए कृत्य के लिए उत्तराखण्ड पावर कॉपोरेशन के उच्चाधिकारियों को श्री रवि कुमार व श्री मनोज कुमार के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक विभागीय कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाना अति आवश्यक एवं प्रार्थनीय है। अतः मंच से अनुरोध है कि, उपरोक्त तथ्यो के दृष्टिगत रखते हुए। अधिशासी अभियंता, श्री रवि कुमार व सहायक अभियंता (मीटर), श्री मनोज कुमार के द्वारा, किए गए कृत्य के लिए उत्तराखण्ड पावर कॉपोरेशन के उच्चाधिकारियों को श्री रवि कुमार व श्री मनोज कुमार के विरूद्ध कठोर से कठोर दण्डात्मक विभागीय कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाए।

उक्त के अनुक्रम में अधिशासी अभियंता द्वारा पत्रांक संख्या 9361 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपभोक्ता श्रीमती राजीव रानी पत्नी श्री श्याम गोयल, जय अम्बे आईस मिल्स, लोधा मण्डी, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार के सापेक्ष उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार द्वारा दिनांक 18.11.2025 को दिये गये आदेश के सापेक्ष संयोजन संख्या जेडब्लू0के000001664 नामें श्रीमती राजीव रानी के सापेक्ष चैक मीटर लगाने की सीलिंग (सिलिंग संख्या 1781 / 035 दिनांक 25.11.2024) तथा चैक मीटर फाईनल करने की

क्रमशः.....13

सिलिंग (सिलिंग संख्या 1791/039 दिनांक 03.01.2025) मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित है। जो कि सहायक अभियंता (मीटर), विद्युत परीक्षणशाला, मायापुर के पत्रांक 10 दिनांक 09.01.2025 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी थी।

मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री कुनाल शर्मा तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता(राजस्व) श्री एस0के0 गौतम उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन 39 किलोवाट/46 केवीए, विद्युत भार पर, दिनांक 30.05.1986 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 03.09.2025 तक, एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा दिनांक 05.03.2010 से दिनांक 03.09.2025 तक की अवधि में, लगातार, अनुबंधित भार की तुलना में 12.40 किलोवाट से 29.00 किलोवाट तक, अतिरिक्त विद्युत भार का उपभोग किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर दिनांक 25.11.2024 को मीटर सिलिंग प्रमाणपत्र संख्या–1781/035 के माध्यम से चैक मीटर संख्या–5136409 स्थापित किया गया है जिसे दिनांक 03.01.2025 को, मीटर सिलिंग प्रमाण पत्र संख्या–1781/039 के माध्यम से फाइनल किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–19628490 पर, दिनांक 25.11.2024 से दिनांक 03.01.2025 तक की अवधि में, चैक मीटर की तुलना में, 46.25 प्रतिशत कम विद्युत खपत रिकार्ड की गई है।

परिणामस्वरूप विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 18.12.2023 से दिनांक 03.01.2025 तक की अवधि में, 46.25 प्रतिशत कम दर्ज की गई विद्युत खपत के सापेक्ष रू0 1101641.00 का राजस्व निर्धारण करते हुए, पत्रांक 5547 दिनांक 01.08.2025 के माध्यम से परिवादिनी के संज्ञान में लाया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त रू0 1101641.00 की धनराशि, दिनांक 09.07.2025 को जारी बिल में आरोपित की गई है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में परिवादिनी द्वारा, मुख्यतः दो बिंदुओं पर अनुतोष हेतु उक्त शिकायत, मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई है:–

1. परिवादिनी द्वारा दिनांक 18.01.2024 को, अनुबंधित भार–39 किलोवाट के अतिरिक्त 11 किलोवाट भार वृद्धि हेतु प्रेषित आवेदन पर अविलंब कार्यवाही करते हुए अनुबंधित भार में वृद्धि की जाए तथा उक्त दिनांक 18.01.2024 के पश्चात, अतिरिक्त भार पैनॉल्टी के रूप में वसूली गई धनराशि, परिवादिनी को लौटाई जाए।
2. विपक्षी विभाग द्वारा गलत तरीके से आरोपित किए गए निर्धारण की धनराशि रू0 1100641.00 को निरस्त किया जाए।

उपरोक्त बिंदु संख्या–1 के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली में उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा प्रश्नगत विद्युत संयोजन के सापेक्ष, अनुबंधित विद्युत भार 39 किलोवाट को बढ़ाकर 50 किलोवाट किए जाने हेतु, दिनांक 18.01.2024 को हस्ताक्षरित, आवेदन पत्र, विपक्षी विभाग को प्रेषित किया गया है जिसे विपक्षी विभाग द्वारा पंजीकरण संख्या–812020224002 के माध्यम से दिनांक 02.02.2024 को पंजीकृत किया गया है। उक्त पंजीकरण का विवरण, परिवादिनी को, विपक्षी विभाग द्वारा अपनाई जा रही ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त हुई है जिसमें परिवादिनी का मोबाइल नंबर–7409316028 तथा ई–मेल पता–rajeevrani@gmail.com अंकित है।

विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण विवरण के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 03.02.2024 को परिवादिनी के परिसर पर निर्गत संयोजन का निरीक्षण किया गया है। विपक्षी द्वारा दिनांक 28.02.2025 को

क्रमशः.....14

आवेदित भार को स्वीकृत/अनुमोदित किया गया है तथा मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विनियम–2020 के अध्याय–3.3.3 (11) के प्राविधानों के अनुसार प्रतिपूर्ति मद में रू0 75000.00, आवेरहेड लाइन चार्जेज मद में रू0 24000.00 तथा सब स्टेशन चार्जेज मद में रू0 200000.00, कुल रू0 224000.00 की धनराशि जमा किए जाने हेतु परिवादिनी को, दिनांक 28.02.2024 को सूचित करते हुए, दिनांक 29.03.2024 तक का समय प्रदान किया गया है।

विपक्षी विभाग के कथनानुसार, वांक्षित शुल्क रू0 224000.00 की धनराशि जमा किए जाने की सूचना, ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से, परिवादिनी के उसी पंजीकृत मोबाइल नंबर–7409316028 पर दी गई है जिस पर भार वृद्धि हेतु प्रेषित आवेदन की सूचना, परिवादिनी को प्राप्त हुई है। परिवादिनी द्वारा उक्त सूचना प्राप्त न होने के सापेक्ष, मोबाइल पर प्राप्त एसएमएस का विवरण साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि विपक्षी विभाग द्वारा उक्त के संबंध में दिनांक 28.02.2024 को कोई भी सूचना प्रेषित नहीं की गई है।

मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विनियम–2020 के अध्याय–3.3.3 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन की तिथि वितरण अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा उपर्युक्त प्रारूप में सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र, आवश्यक शुल्क तथा अन्य अपेक्षित कार्यवाही दर्शित करने वाले दस्तावेजों के साथ प्राप्त करने की तिथि होगी। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा, विद्युत भार में वृद्धि हेतु, वांक्षित शुल्क रू0 224000.00 का भुगतान नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप परिवादिनी द्वारा भार वृद्धि हेतु, दिनांक 02.02.2024 को पंजीकृत आवेदन पत्र को दिनांक 26.04.2024 को अस्वीकार (Reject) किया गया है जो कि सही प्रतीत होता है। परिवादिनी द्वारा, दिनांक 18.01.2024 के पश्चात निर्गत कुल 20 बिलिंग चक्रों के सापेक्ष, 19 बिलिंग चक्रों में, अनुबंधित भार–39 किलोवाट से अधिक विद्युत भार का उपभोग किया गया है तथा उक्त 20 बिलिंग चक्रों के सापेक्ष, 18 बिलिंग चक्रों में, परिवादिनी द्वारा आवेदित भार वृद्धि के उपरांत कुल भार–50 किलोवाट से अधिक विद्युत भार का उपभोग किया गया है। परिवादिनी द्वारा, दिनांक 18.01.2024 को भार वृद्धि हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 02.02.2024 को पंजीकृत किए जाने के उपरांत, विपक्षी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के संज्ञान हेतु कोई भी पत्राचार नहीं किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विपक्षी विभाग द्वारा, आरोपित अतिरिक्त भार पैनॉल्टी मद में जमा की गई धनराशि, नियमानुसार सही प्रतीत होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में परिवादिनी द्वारा बिंदु संख्या–1 के सापेक्ष किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्त बिंदु संख्या–2 के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली में उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी के संयोजन पर दिनांक 25.11.2024 को सिलिंग प्रमाणपत्र संख्या–1781/035 दिनांक 25.11.2024 के माध्यम से चैक मीटर संख्या–5136409 स्थापित किया गया है जिसे दिनांक 03.01.2025 को, सिलिंग प्रमाणपत्र संख्या–1781/039 दिनांक 03.01.2025 द्वारा फाइनल किया गया है। उपरोक्त सिलिंग प्रमाणपत्रों में अंकित विवरण के अनुसार, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–19628490 पर, चैक मीटर की तुलना में, निम्नानुसार, कम विद्युत खपत मात्रा रिकार्ड की गई है:–

विवरण	मैन मीटर संख्या–19628490		चैक मीटर संख्या–5136409	
	केडब्लूएच	केवीएएच	केडब्लूएच	केवीएएच
दिनांक 03.01.2025	38614	43445	269	303
दिनांक 25.11.2024	38432	43230	02	03
अंतर	182	215	267	300
गुणांक	15	15	20	20
विद्युत खपत	2730	3225	5340	6000

चैक मीटर के सापेक्ष, मेन मीटर पर दर्ज, कम विद्युत खपत का प्रतिशत (kWh आधार पर)	((5340–2730)/5340)×100= 48.88 %
चैक मीटर के सापेक्ष, मेन मीटर पर दर्ज, कम विद्युत खपत का प्रतिशत (kVAh आधार पर)	((6000–3225)/6000)×100= 46.25 %

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर, दिनांक 25.11.2024 से दिनांक 03.01.2025 तक की अवधि में, मेन मीटर संख्या–19628490 पर चैक मीटर संख्या–5136409 की तुलना में, केवीएएच आधार पर, 46.25 प्रतिशत कम विद्युत की मात्रा रिकार्ड की गई है। उक्त मीटर सिलिंग प्रमाणपत्रों पर, परिवादिनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से अंकित हैं जिसकी पुष्टि परिवादिनी द्वारा भी की गई है। सिलिंग प्रमाणपत्रों तथा मीटर संख्या–19628490 की एमआरआई रिपोर्ट का अवलोकन किए जाने पर, आर तथा वाई–फेज की मीटरिंग वोल्टेज कम होने की पुष्टि होती है। परिणामस्वरूप विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 18.12.2023 से दिनांक 03.01.2025 तक की अवधि में, मीटर संख्या–19628490 पर दर्ज 46.25 प्रतिशत कम विद्युत मात्रा के सापेक्ष, विद्युत मूल्य आदि का निर्धारण करते हुए रू0 1101641.00 की धनराशि से, परिवादिनी को अवगत कराया गया है। मीटर सिलिंग प्रमाणपत्र संख्या–1781/035 दिनांक 25.11.2024 तथा 1781/039 दिनांक 03.01.2025 पर, परिवादिनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर अंकित हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि परिवादिनी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में, चैक मीटर स्थापित किए जाने तथा चैक मीटर फाइनल किए जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की गई है तथा उक्त मीटर सिलिंग प्रमाणपत्रों में अंकित विवरण मुख्य रूप से मीटर नंबर, सीटी की क्षमता, गुणांक, मीटर रीडिंग, बॉडी सील, टर्मिनल प्लेट सील, मीटर बॉक्स सील आदि का संज्ञान परिवादिनी के प्रतिनिधि द्वारा लिया गया है क्योंकि मीटरिंग प्रणाली में स्थापित सभी सीलों को सही अवस्था में रखे जाने का उत्तरदायित्व परिवादिनी पर निहित है।

परिवादिनी के प्रतिनिधि को हस्तगत की गई सिलिंग प्रमाणपत्रों की फोटो कॉपी में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि मीटर संख्या–19628490 तथा 5136409 की एमआरआई कर ली गई है। मीटर सिलिंग प्रमाणपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त मीटरों की एमआरआई रिपोर्ट, परिवादिनी को हस्तगत नहीं की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त मीटर सिलिंग प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियों में, एमआरआई रिपोर्ट संलग्न किए जाने का उल्लेख किया गया है, परंतु अन्य किसी भी विवरण से छेड़छाड़ नहीं की गई है। परीक्षण अनुभाग द्वारा उक्त मीटर सिलिंग प्रमाणपत्रों के मूल प्रतियों पर, जिनकी छाया प्रति परिवादिनी के प्रतिनिधि को पूर्व में निर्गत की जा चुकी है किसी भी प्रकार की टिप्पणी अंकित किया जाना उचित नहीं है जिस हेतु, विपक्षी विभाग द्वारा दोषी कार्मिकों के विरूद्ध, वांक्षित कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। प्रश्नगत प्रकरण में परिवादिनी, विपक्षी विभाग के विरूद्ध सक्षम स्तर पर कार्यवाही किए जाने हेतु स्वतंत्र है।

चैक मीटर संख्या–5136409 की परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध है, परंतु उक्त रिपोर्ट, परिवादिनी को उपलब्ध कराए जाने का साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में मीटर संख्या–19628490 का परीक्षण की आवश्यकता न होने के कारण, विपक्षी विभाग द्वारा उक्त मीटर संख्या–19628490 का परीक्षण किसी भी प्रयोगशाला में नहीं कराया गया है। अतः मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.1.3 (6/7) के प्राविधान प्रश्नगत प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–19628490 की मीटरिंग प्रणाली में आर तथा वाई–फेज में कम मीटरिंग वोल्टेज की उपलब्धता के दृष्टिगत, दिनांक 25.11.2024 को चैक मीटर संख्या–5136409 स्थापित किए जाने तथा चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर, दिनांक 18.02.2023 से दिनांक 03.01.2025

क्रमशः.....16

तक की अवधि में, परिवादिनी द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत के सापेक्ष, उक्त मीटर संख्या—19628490 पर 46.25 प्रतिशत कम दर्ज की गई विद्युत खपत के विरूद्ध, विद्युत मूल्य आदि मद में रू0 1101641.00 का राजस्व निर्धारण किया जाना सही प्रतीत होता है। अतः परिवादिनी का यह परिवाद ठोस आधार के अभाव में खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद ठोस आधार के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

19/01/2026	19/01/2025
(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 259/2025 दिनांक : 20.01.2026

परिवादी :– श्री अचपल सिंह पुत्र श्री मुखराम, गांव–लाठरदेवा हुण, पोस्ट–झबरेड़ा, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री अचपल सिंह पुत्र श्री मुखराम, गांव–लाठरदेवा हुण, पोस्ट–झबरेड़ा, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–आरडी0के000698892, स्वीकृत भार 06 किलोवाट के सन्दर्भ में कथन किया है कि उक्त कनैक्शन उनके द्वारा, कुछ ही समय के लिए उपयोग में लाया गया और विद्युत विभाग द्वारा उन्हें शुरू से ही गलत बिल दिये गये तथा विभाग द्वारा उनका बिल ठीक करने के बजाय, उनका विद्युत कनैक्शन काटकर, मीटर भी उतार लिया गया और मीटर उतारने के बाद भी उन्हें बिल भेजे जा रहे हैं। उनके मीटर में मात्र 364 रीडिंग है, जिसकी विडियो भी उनके पास मौजूद है। माह 09/2025 में भी उन्हें रू0. 34261.00 के बिल का मैसेज प्राप्त हुआ है। इससे विभाग की कार्यशैली तथा कार्य के प्रति लापरवाही का पता चलता है, क्योंकि उनके द्वारा मीटर महीनों पहले उतार लिया गया था, फिर भी लगातार उन्हें बिल दिये जा रहे हैं। माह मार्च 2024 के बाद उनके द्वारा, उक्त कनेक्शन का उपयोग नहीं किया गया था। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका विद्युत बिल माह मार्च 2024 तक, रीडिंग के अनुसार ठीक कराकर, कनैक्शन को स्थायी रूप से बन्द करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 7967 दिनांकित 05.12.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि संयोजन संख्या–आरडी0के0006988892, श्री अचपल सिंह पुत्र श्री मुखराम, ग्राम–लाठरदेवा हुण, पोस्ट–झबरेड़ा, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार के नाम पर, अघरेलू उपयोग हेतु 06 कि0वा0 का दिनांक 21.12.2022 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बंध में अवगत कराना है कि मंच द्वारा प्राप्त नोटिस के क्रम में, परिवादी द्वारा उक्त संयोजन के बीजक को ठीक कराकर, स्थायी रूप से बन्द किये जाने का आग्रह किया गया है। क्षेत्रीय अवर अभियन्ता द्वारा, उक्त संयोजन को, स्थायी विच्छेदित किये जाने की प्रक्रिया के दौरान, उतारे गये ट्रांसफार्मर एवं अन्य सामान को लेकर जाने से रोका गया तथा लिखित प्रार्थना पत्र देकर, उक्त संयोजन को, स्थायी विच्छेदित नहीं किये जाने का आग्रह किया है। उक्त विद्युत संयोजन के बीजक को, विद्युत मीटर संख्या–9140016 की एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का, बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0. 29790.02 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः.....02

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियंता (राजस्व) श्री मनीष सिंह उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 06.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 21.12.2022 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 19.03.2025 तक, एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा दिनांक 30.10.2023 के पश्चात, विद्युत का उपभोग नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, परिवादी द्वारा दिनांक 30.10.2023 से 19.03.2025 तक की अवधि हेतु, लगातार 15 बिलिंग चक्रों के लिए शून्य विद्युत खपत के, एमयू आधार पर विद्युत बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 30.10.2023 को जारी विद्युत बिल में मीटर रीडिंग–1242 केडब्लूएच दर्शायी गई है जबकि एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–9140016 पर कुल मीटर रीडिंग/खपत–364 केडब्लूएच दर्ज पाई गई है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 30.10.2023 को परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–9140016 में कुल विद्युत खपत–364 केडब्लूएच दर्ज रही है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, मीटर संख्या–9140016 पर दर्ज कुल विद्युत खपत–364 केडब्लूएच के आधार पर संशोधित बिल परिवादी को जारी किया गया है।

परिवादी द्वारा, प्रश्नगत विद्युत संयोजन के माध्यम से विद्युत का उपभोग, सिंचाई कार्य हेतु किए जाने के बावजूद, प्रश्नगत विद्युत संयोजन के सापेक्ष, विपक्षी विभाग द्वारा RTS-4 (Private Tube-wells/Pumping Sets) के बजाय, RTS-2 (Other Non-Domestic More Than 4 kW and Upto 25 kW) श्रेणी के अंतर्गत जारी विद्युत बिलों को विवादित ठहराया गया है। मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत दर सूची के अनुसार, सिंचाई हेतु प्रयोगार्थ, Tube Wells/Pumping Sets हेतु, RTS-4 (Private Tube Wells/Pumping Sets) तथा RTS-3 (State Tubewells, World Bank Tubewells, Pumped Canals and Lift Irrigation Schemes, Laghu Dal Nahar etc./Irrigation System owned and operated by any Government Departments) के अंतर्गत विद्युत संयोजन निर्गत किया जा सकता है। परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन से संयोजित पंपिंग सेट, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा स्थापित किया गया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त पंपिंग सेट का स्वामित्व स्वयं परिवादी अथवा लघु सिंचाई विभाग के पास है।

सुनवाई के दौरान मंच के संज्ञान में यह भी आया है कि उक्त प्रश्नगत पंपिंग सेट का उपयोग सिंचाई कार्य हेतु अन्य ग्रामीणों के द्वारा भी किया जाना है। परिवादी के प्रश्नगत पंपिंग सेट की क्षमता (6 किलोवाट) से विदित होता है कि उक्त पंपिंग सेट द्वारा सीमित कृषकों द्वारा ही, कृषि भूमि पर सिंचाई हेतु प्रयोग में लाया जाना संभव है अर्थात उक्त पंपिंग सेट का प्रयोग सार्वजनिक रूप से कृषि भूमि हेतु प्रयोग में लाया जाना व्यवहारिक दृष्टि से संभव प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–9140016 पर दर्ज वास्तविक कुल विद्युत खपत–364 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल परिवादी को जारी करते हुए परिवादी के विद्युत बिल संबंधी शिकायत का समाधान कर दिया गया है। उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए, प्रश्नगत विद्युत संयोजन की वास्तविक श्रेणी (आरटीएस–2/3/4) के निर्धारण हेतु, मुख्य अभियन्ता वाणिज्यिक ऊर्जा भवन देहरादून के माध्यम से निस्तारित किया जाना आवश्यक है तथा भविष्य में इसी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए उचित श्रेणी का निर्धारण किए जाने हेतु, प्रकरण को मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष लाया जाना आवश्यक है।

क्रमशः.....03

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत विद्युत संयोजन की वास्तविक श्रेणी (आरटीएस—2/3/4) के निर्धारण हेतु, मुख्य अभियन्ता वाणिज्यिक ऊर्जा भवन देहरादून के माध्यम से निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20/01/2026

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

20/01/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 280/2025 दिनांक : 12.01.2026

परिवादी :– श्री राजपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री शिवचरण दास, मोहल्ला लकड़हारान, रामलीला ग्रांउड के पास, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री राजपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री शिवचरण दास, मोहल्ला लकड़हारान, रामलीला ग्रांउड के पास, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार द्वारा, विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू60751112425, के सन्दर्भ में कथन किया है कि उनका यह विद्युत कनैक्शन टिहरी विस्थापित कॉलोनी, पीएनबी वाली गली, रानीपुर में है। उनका अप्रैल माह 2025, का विद्युत बिल 1634 यूनिट का रू0. 12673 का आ गया था, जोकि पूर्व में आए बिलों की अपेक्षा बहुत ज्यादा था, इस संदर्भ में उनके द्वारा विद्युत विभाग से निवेदन करके एक चैक मीटर, 21.05.2025 को लगवाया गया, जोकि 07.07.2025 को पुराने मीटर में TP Brunt होने के कारण वही छोड़ दिया गया। लगभग डेढ़ माह बाद उनके यहां लगे विद्युत मीटर व चेक मीटर की रीडिंग लगभग बराबर ही रही। उनके द्वारा दिनांक 11.07.2025 को, उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, ज्वालापुर–द्वितीय, हरिद्वार को, उक्त कनैक्शन से उतारे गए पुराने मीटर L&T8434269 की MRI रिपोर्ट कराने के संदर्भ में एक प्रार्थना पत्र दिया। उनके द्वारा उक्त कनैक्शन पर अप्रैल माह में आए हुए 1634 यूनिट के बिल 12673 को पूर्व बिलों के सापेक्ष ठीक कराने के संदर्भ में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.07.2025 को मंच कार्यालय में दिया गया, दिए गए प्रार्थना पत्र के उपरांत, श्रीमती अर्चना जी, उपखण्ड अधिकारी, उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, विद्युत वितरण उपखण्ड, ज्वालापुर–द्वितीय द्वारा भेजा गया एक जवाब मिला, जिसका पत्रांक संख्या 870 है। जिसमें उनके द्वारा एमआरआई रिपोर्ट को सही बताकर, विद्युत बिल मीटर यूनिट के आधार पर बनाते हुए, जो विद्युत बिल बनाया गया है, उसको सही बताया गया है। उनके द्वारा मंच के समक्ष दिए गये प्रार्थना पत्र के उपरांत, श्री रवि कुमार, अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार द्वारा भेजा गया एक जवाब मिला, जिसका पत्रांक संख्या 5728 है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि संबंधित विद्युत बिल मीटर यूनिट के आधार पर बनाया गया है जो की सही है। उनके द्वारा मंच कार्यालय में जो प्रार्थना पत्र, विद्युत बिल सही करने के लिए दिनांक 19.07.2025 को दिया गया था। उसी संदर्भ में दिनांक 9 सितंबर 2025 को उपभोक्ता वाद संख्या 190/2025 पर सुनवाई हुई, जिसमें न्यायिक सदस्य द्वारा दोनों पक्षों, परिवादी

क्रमशः.....02

व विपक्षी विभाग की बात सुनी, जिसमें विपक्षी विभाग द्वारा उक्त समय अवधि की एमआरआई रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराई गई, मंच द्वारा विपक्षी विभाग के तथ्यों को सही मानते हुए उनके आवेदन को खारिज कर दिया और उनका विद्युत बिल यथावत ही रहने दिया। उनके द्वारा, लोक सूचना अधिकारी, अधिशासी अभियंता, विद्युत परीक्षण खण्ड, जिला हरिद्वार से, दिनांक 01.09.2025 को, सूचना के अधिकार 2005 के तहत, दो बिंदुओं पर सूचना मांगी गई। दिनांक 07 जुलाई 2025 को उनके यहां से उतारे गये विद्युत मीटर L&T8434269 की एक साल की टैम्पर रिपोर्ट की सत्यापित छायाप्रति तथा 01 जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक की रीडिंग एंड मैक्सिमम डिमांड की एमआरआई रिपोर्ट की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराये। दिनांक 03 अक्टूबर 2025 को लोक सूचना अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, 33/11 के0वी0, विद्युत उपग्रह, विद्युत परीक्षण खण्ड, बैरागी कैंप, हरिद्वार द्वारा 10 पृष्ठ की सूचना प्राप्त हुई। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई, टैम्पर रिपोर्ट में दिनांक 08.04.2025 को Earth Load Temper 18944 मीटर रीडिंग प्रारम्भ होकर दिनांक 09.04.2025 को 19359 पर समाप्त हुई, जिसका डिफरेंस 415 मीटर यूनिट है। इसी प्रकार दिनांक 24.04.2025 को Earth Load Temper 19574 मीटर रीडिंग प्रारम्भ होकर दिनांक 25.04.2025 को 20485 पर समाप्त हुई, जिसका डिफरेंस 911 मीटर यूनिट हुआ। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए समस्त साक्ष्यों का अवलोकन करके प्रार्थी का अप्रैल माह का बिल पूर्व में आए बिलो के सापेक्ष बनवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 10030 दिनांकित 24.12.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्री राजपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री शिवचरण दास, मोहल्ला लकडहारन, रामलीला ग्राउण्ड के पास, ज्वालापुर, हरिद्वार के सापेक्ष उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, ज्वालापुर–द्वितीय द्वारा पत्रांक 1065 दिनांक 11.12.2025 के माध्यम से श्री राजपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री शिवचरण दास का विद्युत बिल संशोधित कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जो कि आर0ए0पी0डी0आर0पी0 सिस्टम में गतिमान है। जिसे यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्रीमती अर्चना उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 04.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 13.05.2019 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 29.11.2025 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा, दिनांक 28.08.2025 को जारी बिल में, दिनांक 29.03.2025 से दिनांक 28.04.2025 तक की अवधि के सापेक्ष दर्शायी गई विद्युत खपत–1634 (20522–18888) यूनिट को, पूर्व में जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत की तुलना में, अत्यधिक होने के कथन के साथ, विवादित ठहराया गया है। परिवादी द्वारा, सूचना का अधिकार के अंतर्गत, विपक्षी विभाग से प्राप्त, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–84534269 की एमआरआई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत एमआरआई रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 25.05.2025 तक की अवधि में, दिनांक 25.04.2025 को, 09.00 बजे, अधिकतम भार 29.38 किलोवाट दर्ज पाई गई है। एमआरआई रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि दिनांक 08.04.2025 (15:17:00 बजे) से दिनांक 09.04.2025 (15:49:00 बजे) तक तथा दिनांक 24.04.2025 (09:32:00 बजे) से दिनांक 25.04.2025 (17:36:00 बजे) तक, की अवधि में, मीटर में दर्ज विद्युत खपत में क्रमशः 415:20 (19359.80–18944.60) तथा 911.20 (20485.40–19574.20) यूनिट का जंप दर्ज पाया गया है। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 1326.40 (415.20+911.20) यूनिट का अतिरिक्त विद्युत खपत का बिल, दिनांक 28.04.2025 को जारी बिल में आरोपित किया गया है। इसी क्रम में, विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 10030 दिनांक 24.12.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है

क्रमशः.....03

कि परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–54534269 में, एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर, मीटर रीडिंग में दर्ज जंप का संदर्भ लेते हुए, दिनांक 28.04.2025 को जारी बिल को, परिवादी द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत 307.60 केडब्लूएच (1634.00–1326.40) के आधार पर, संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, जो कि सही प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–54534269 की एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर, मीटर रीडिंग/खपत में दर्ज जंप का संज्ञान लेते हुए, परिवादी द्वारा दिनांक 29.03.2025 से दिनांक 28.04.2025 तक की अवधि में की गई वास्तविक विद्युत खपत–307.60 केडब्लूएच (1634.00–1326.40) यूनिट के आधार पर, प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–54534269 की एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर, मीटर रीडिंग/खपत में दर्ज जंप का संज्ञान लेते हुए, परिवादी द्वारा दिनांक 29.03.2025 से दिनांक 28.04.2025 तक की अवधि में की गई वास्तविक विद्युत खपत–307.60 केडब्लूएच (1634–1376.40) यूनिट के आधार पर, प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, संशोधित बिल परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

12/01/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

12/01/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 286 / 2025 दिनांक : 13.01.2026

परिवादी :– श्रीमती रिचा गौड पत्नी श्री नलिन गौड़, निवासी–फ्लैट नं0–0007, गायत्री लोक अपार्टमेंट, करनखल, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद के तथ्य – परिवादिनी श्रीमती रिचा गौड पत्नी श्री नलिन गौड़, निवासी–फ्लैट नं0–0007, गायत्री लोक अपार्टमेंट, करनखल, हरिद्वार द्वारा नये विद्युत संयोजन के सन्दर्भ कागज सं0 – 1 ता 6 प्रस्तुत कर कथन किया है कि उन्होने दिनांक 28.09.2022 को फ्लैट नं0–0007, स्थित भूतल गायत्री लोक, कनखल, हरिद्वार में क्रय किया था और फ्लैट नं0–0009 पूर्व से, उनके पुत्र अंकित गौड ने खरीद रखा है। उक्त अपार्टमेंट मे रख रखाव व बिजली पानी की पूर्ति का कार्य सी0एफ0एम0 कर रही थी, जिसने प्रत्येक फ्लैट मालिक से एक निश्चित सिक्योरिटी धनराशि ले रखी थी। अब 1 अप्रैल 2025 से अपार्टमेंट में सम्पूर्ण उक्त कार्य श्री संजय पुरी, मालिक डिकौर लाईट्स कर रहा है, उनके द्वारा लगातार अपने भुगतान डिकौर लाईट्स को अदा किये जा रहे है। श्री संजय पुरी का पत्र एवं डायरेक्टर का पत्र संलग्न हैं। अपार्टमेंट के कुछ मालिकाना डिकौर लाइट्स में, मेन्टीनेंस धनराशि को लेकर विवाद हो गया। जिस वजह से उनके द्वारा मान्य सिविल जज जे0डी0 हरिद्वार के यहां वाद सं0–268 / 2025 श्री मुकेश पुत्र आदि बनाम डिकौर लाइट्स दायर किया और प्रतिवादी को निषेध कर दिया गया कि वह वादीगण की सुविधाओ को न रोके अर्थात बिजली, पानी आदि व्यवस्थाओ को सुचारू रखे। श्री संजय पुरी मालिक डिकौर लाईट्स ने, विपक्षी से मिलकर अपार्टमेंट की लाईट कटवा दी। जिससे वह लाईट्स, पानी की सुविधा से वंचित हो गयी। जब उनके पति श्री नलिन गौड दिनांक 08.11.2025 को एस0डी0ओ0 गैरोला से मिले तो उन्होने कहा कि आपके कनेक्शन अधिशासी अभियंता श्री दीपक सैनी की इजाजत से ही मिलेगा। कोई अपार्टमेंट में कनेक्शन नही दिया जा सकता।

श्री संजय पुरी ने विपक्षी साजिश करके अपने रेस्टोरेंट में, जो कि गायत्री लोक के बेसमेंट मे है, पहले ही व्यवसायिक कनेक्शन ले लिया और अपने फ्लैट में भी उसी से विद्युत प्रवाह ले लिया। जबकि उक्त बेसमेंट केवल पार्किंग के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। श्री संजय पुरी अब न्यायालय में पैरवी तत्पर से नही कर रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि फ्लैट मालिक फ्लैट बेच कर चले जाये। विपक्षी ने जब गायत्री अपार्टमेंट मे श्री संजय पुरी डिकौर लाइट्स को व्यवसायिक कनेक्शन दिया है और उनको नही दे रहा है। विपक्षी का यह कृत्य सेवा में कमी है। उनका निवास व विपक्षी का कार्यक्षेत्र, कार्यालय मान्य फोरम के क्षेत्राधिकार मे है। वाद का कारण विद्युत कनेक्शन देने से इंकार करना था जोकि दिनांक 08.11.2025 को पैदा हुआ। अतः मंच से अनुरोध है कि, विद्युत विभाग द्वारा 5 किलोवाट का विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया जाए एवं अन्य अनुतोष जो मान्य फोरम की राय मे उचित हो पारित किया जाए।

विपक्षी का जवाब – विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कागज सं0 – 10 ता 19 प्रस्तुत कर पत्र संख्या 3427 दिनांकित 08.12.2025 में कथन किया गया है कि गायत्री लोक, कनखल में संयोजन संख्या–690के000005108, विद्युत भार 100 कि0वा0, विधा–Single Point Bulk Supply Above 75 kw के अंतर्गत M/s CHD Developers के नाम से संयोजित है। उक्त संयोजन को धनराशि रूपये 8,96,211.00 पर, दिनांक 24.10.2025 को विच्छेदित किया गया। तदोपरान्त दिनांक 13.112025, M/s CHD Developers के प्रतिनिधि द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के अनुसार, उनके द्वारा धनराशि रू0. 5,00,000.00 जमा कराने के उपरान्त, संयोजन को पुनः संयोजित कर दिया गया। अवगत कराना है कि उक्त संयोजन पर वर्तमान तक धनराशि रू0. 13,10,557.00 बकाया है, जिसके अनुरूप उक्त परिसर पर, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के Regulation 2020 के अनुसार नया संयोजन नहीं दिया जा सकता। शिकायतकर्ता मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की नियमावली 2019 अध्याय 1 के प्रस्तर 1.2(C) के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवादी की श्रेणी में नहीं आती है।

परिवादिनी का प्रतिउत्तर–उक्त वाद में, विपक्षी विभाग के उत्तर के प्रतिउत्तर में, परिवादिनी द्वारा कागज सं0 – 21 ता 28 प्रस्तुत कर पत्र दिनांकित 26.12.2025 प्रस्तुत कर कथन किया है कि विपक्षी, अधिशासी अभियंता, श्री दीपक सैनी ने स्वयं स्वीकार किया है कि गायत्री लोक, कनखन, में 75 किलोवाट का सिंगल प्वाइंट बल्क सप्लाई संयोजन मै0 सी0एच0डी0 डेवलपर्स को दिया गया है और इसके आधार पर UERC की धारा 14(1) के अर्न्तगत सी0एच0डी0 डेवलपर्स विपक्षी का एजेन्ट है और उसके द्वारा ही उनको विद्युत पूर्ति की जा रही है, तो वह विपक्षी का कानूनन उपभोक्ता है तथा इसी धारा में वर्णित है कि नया व्यक्तिगत विद्युत संयोजन इसी कैम्पस में किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है।

अतः विपक्षी के लिए लाजिम है कि उनको विद्युत का नया संयोजन उसके नाम से उसके फ्लैट पर दे। परिवादिनी गायत्री लोक में फ्लैट सं0 007 की मालकिन है और उसका कानूनी अधिकार है कि वह फ्लैट में विद्युत संयोजन विपक्षी से ले, जिसके लिये उसके द्वारा रेफरेंस सं0–11811250992 दिनांक–18.11.2025 ऑनलाईन एवं आफलाईन कनेक्शन एप्लाई कर दिया गया। अतः विद्युत अधिनियम की धारा 1 (c) (ii) के अंर्तगत वह विपक्षी विभाग की भी उपभोक्ता हो गई है। वर्तमान में संजय पुरी मालिक डेकोर लाइट, सी0एच0डी0 डेवलपर्स की ओर से गायत्री लोक एप्याटमेंट की सुविधाऐं दे रहे है लेकिन बदनीयत होकर बिजली का बिल जमा नही कर रहा है ताकि उसमें रह रहे लोग तंग आकर फ्लैट बेच दे। विपक्षी विभाग का कहना कतई गलत है कि सी0एच0डी0 डेवलपर्स पर बकाया होने के कारण नया संयोजन नही दिया जा सकता। जबकि विपक्षी द्वारा गायत्री लोक अपार्टमेंट के बेसमेंट में, जोकि पार्किंग की जगह है, रेस्ट्रोरेंट "जायके का तड़का" को नया कनेक्शन विपक्षी द्वारा 2025 में दिया गया है। जबकि गायत्री लोक के संयोजन पर बकाया पूर्व से चला आता था। अतः स्पष्ट है कि विपक्षी अधिशासी अभियंता संजय पुरी से साज करके परिवादिनी को नया संयोजन प्रदान नही कर रहा है ताकि वह अपना फ्लैट बेचकर चली जाये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि गायत्री लोक अपार्टमेंट के फ्लैट अब संजय पुरी के द्वारा प्रेषित व्यक्तियों द्वारा ही खरीदे जा रहे है। वह नया संयोजन लेना चाहती है जिसके लिए विपक्षी के यहाँ आवेदन दिया जा चुका है तो उसे नया विद्युत संयोजन देना विपक्षी की जिम्मेदारी है ताकि वह अपनी सम्पत्ति में सुविधाओं का लाभ देते हुये रह सके और नया संयोजन ना देना विपक्षी की सेवा में कमी है। परिवादिनी हार्ट की पेशेंट है तथा उसके पति भी उच्च रक्तचाप के मरीज है और वर्तमान में जाडे के मौसम मे उनके जीवन के लिए आवश्यक है कि कमरे गर्म रखे जाये जिसके लिए विद्युत का होना आवश्यक है। यदि परिवादी या उसके पति को कोई विद्युत आपूर्ति ना होने की वजह से जान माल का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी विपक्षी श्री दीपक सैनी, अधिशासी अभियंता की होगी।

विपक्षी का प्रति उत्तर–उक्त के अनुक्रम में विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा कागज सं0 – 29 ता 31 प्रस्तुत कर पत्रांक संख्या–3776, दिनांकित 03.01.2026 में कथन किया गया है कि वादी श्रीमती रिचा गौड़ द्वारा उपरोक्त शिकायत में दिये गये उनके शपथ पत्र में अवगत कराया है कि गायत्री लोक कनखल में 75 कि0वा0 का Single Point Bulk Supply का संयोजन M/s CHD Developers को दिया गया है। जिसके आधार पर मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की धारा 14(1) M/s CHD Developers विपक्षी का Agent है।

वाद सं0–286 / 2025

(उ0शि0नि0मं0, हरिद्वार)

उपरोक्त सम्पत्ति पर उपभोक्ता श्री संजय कुमार पुरी, जायका तड़का, रेस्टोरेंट, गायत्रीलोक कनखल, हरिद्वार पर संयोजन संख्या–6910431223558 रजिस्ट्रेशन दिनांक–28.05.2025 उपरोक्त Single Point Bulk Supply उपभोक्ता M/s CHD Developers पर माह 04 / 2025 तक कोई बकाया लम्बित नहीं चला आता था। जिस कारण उपभोक्ता श्री संजय कुमार पुरी, जायका तड़का, रेस्टोरेंट, गायत्री लोक कनगखल, हरिद्वार को नया विद्युत संयोजन निर्गत किया गया है। शपथकर्ता द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति पर M/s CHD Developers द्वारा Single Point Bulk Supply के आधार पर लिए गये संयोजन संख्या–690के00005108 के माध्यम से विद्युत उपभोग किया जा रहा था। परंतु M/s CHD Developers पर विद्युत बकाया लम्बित होने के कारण उपरोक्त सम्पत्ति पर मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की नियमावली 2019 अध्याय 1 के प्रस्तर 1.2(C) के प्रावधानों के अन्तर्गत नया विद्युत कनेक्शन निर्गत किया जाना सम्भव नहीं है।

–:विचारण:–

मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री नलिन गौड़ तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री वेद प्रकाश गैरोला उपस्थित हुए। पक्षकारो को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या परिवादी नया विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की अधिकारी है?
उक्त वाद बिन्दु के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विचारण किया गया–

1. परिवादी ने नये घरेलू विद्युत कनेक्शन लेने हेतु विधिवत आवेदन विपक्षी के समक्ष किया हुआ है जिसका साक्ष्य परिवादी ने अपने शपथपत्र कागज स0–21 के साथ संलग्न कर कागज स0–23 ता 25 प्रस्तुत किया जिससे प्रमाणित है कि परिवादी विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 के प्रावधान 1.2(2)(ii) के अन्तर्गत उपभोक्ता की श्रेणी मे आता है।

2. विपक्षी के जवाब कथन के अनुसार गायत्री लोक भवन का विद्युत कनेक्शन स0–690K000005108 वर्तमान मे संयोजित चला आता है जिससे स्पष्ट होता है कि गायत्री लोक भवन डिफाल्टर बकायादार नही है विपक्षी विभाग ने M/s CHD Dovelopers को भुगतान हेतु समय प्रदान किया हुआ है।

3. विपक्षी विभाग ने कागज स0–29 मे स्वीकार किया है कि उसके द्वारा संजय कुमार पुरी के नाम पर जायका तडका रेस्टोरेन्ट हेतु गायत्री लोक कनखल पर नया व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन दिया गया है। अर्थात विपक्षी को स्वीकार है कि गायत्री लोक आवासीय भवन के बेसमेट की पार्किंग पर व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन दिया जा सकता है।

वाद सं0–286 / 2025
(उ0शि0नि0मं0, हरिद्वार)

4. यह तथ्य निर्विवादित है कि परिवादी कनेक्शन स्थल की निवास सम्पत्ति का पंजीकृत एवं काबिज स्वामी है। उक्त स्थिति में परिवादी विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 के प्रावधान 3.6(1)(b)(6) के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने का अधिकारी है।

5. यहकि विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 के प्रावधान 3.3.2(4)(a) के अन्तर्गत भी 'परिवादी' तीन गुणा धरोहर राशि अदा कर विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने का अधिकारी है।

6. माननीय उच्चन्यायालय उत्तराखण्ड ने भी विद्युत को मौलिक आवश्यकता माना है (WPMS 691/2023).उक्त स्थिति में परिवादी को कनेक्शन देने से इंकार करना न्यायोचित नही है।

उपरोक्त विचारण के दृष्टिगत मंच की राय में परिवादी को नया विद्युत कनेक्शन दिया जाना उचित एवं न्याय सम्मत है।

–आदेश–

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि परिवादी का आवेदन स्वीकार कर उसे नियमानुसार नया विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये। आदेश का अनुपालन आदेश तिथि के 30 दिन के भीतर हो। आदेश अनुपालन की सूचना नियमानुसार मंच को दी जाये। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	13/01/2026	13/01/2026
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 288/2025 दिनांक : 12.01.2026

श्रीमती भावना ठाकुर द्वारा

परिवादी :– श्री राकेश कुमार, न्यू गंगा एन्कलेव, नियर सालार अस्पताल, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

श्रीमती भावना ठाकुर

निर्णय

परिवादी श्री राकेश कुमार, न्यू गंगा एन्कलेव, नियर सालार अस्पताल, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–आरएम19999528243, के सन्दर्भ में कथन किया है कि उनके अस्थायी बिजली कनैक्शन का रिफंड पिछले तीन महीनों से लंबित है। उन्होंने यूपीसीएल से अस्थायी बिजली कनैक्शन लिया था और कनैक्शन सरेंडर करने और सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें बताया गया था कि रिफंड की राशि एक महीने के भीतर प्रोसेस कर दी जाएगी। हालांकि, लगातार फॉलोअप करने और यूपीसीएल पोर्टल पर शिकायत (आईडी सं0–10810250020, दिनांक 08.10.2025 एवं आईडी सं0–10111250020, दिनांक 01.11.2025) दर्ज कराने के बावजूद, रिफंड उनके खाते में जमा नहीं हुआ है। अतः मंच अनुरोध कि विद्युत विभाग को उनका रिफंड जल्द से जल्द जारी करने हेतु निर्देशित किया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 5840 दिनांकित 11.12.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता श्रीमती भावना ठाकुर पत्नी श्री राकेश कुमार, न्यू गंगा एन्क्लेव, नियर सालार अस्पताल, रूड़की परिवाद सं0 288/2025 उक्त शिकायत के सम्बंध में सिक्योरिटी की धनराशि चैक सं0 385859 दिनांक 10.12.2025 के माध्यम से निर्गत करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री मोहम्मद उस्मान उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 01.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 13.03.2024 को, श्रीमती भावना ठाकुर के नाम पर निर्गत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, प्रश्नगत विद्युत संयोजन, New RTS-9 DOMESTIC UPTO 4 KW, श्रेणी के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 21.06.2025 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी के कथनानुसार, प्रश्नगत विद्युत संयोजन को, दिनांक

क्रमशः.....02

को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने के उपरांत, परिवादी द्वारा जमा की गई प्रतिपूर्ति की धनराशि, अंतिम बिल के समायोजन के उपरांत, विपक्षी विभाग द्वारा लौटाया नहीं गया है। परिवादी द्वारा उक्त के संदर्भ में प्रेषित शिकायत को परिवाद संख्या—288 / 2025 के रूप में दिनांक 15.11.2025 को पंजीकृत किया गया है। मंच द्वारा पत्रांक 930 / सीजीआरएफ / फोरम / नोटिस / हरि0 दिनांक 15.11.2025 के माध्यम से विपक्षी विभाग को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया है।

मंच द्वारा जारी उक्त नोटिस के अनुपालन में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 5840 दिनांक 11.12.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी द्वारा प्रेषित शिकायत का संज्ञान लेते हुए, परिवादी द्वारा जमा की गई प्रतिपूर्ति की धनराशि के सापेक्ष रू0 12964.00 की धनराशि का चैक (385859) दिनांक 10.12.2025 को परिवादी के नाम पर जारी करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि परिवादी द्वारा पत्र संख्या—शून्य दिनांक 12.12.2025 के माध्यम से की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी द्वारा जमा की गई प्रतिपूर्ति धनराशि के सापेक्ष रू0 12964.00 की धनराशि का चैक (385859) दिनांक 10.12.2025 को परिवादी के नाम पर जारी करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

12/01/2026   12/01/2026

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 289 / 2025 **दिनांक** : 06.01.2026

परिवादी :– श्री लच्छी राम, वार्ड नं0 29, ग्राम–घमंडपुर, पोस्ट–निम्बूचौड, कोटद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री लच्छी राम, वार्ड नं0 29, ग्राम–घमंडपुर, पोस्ट–निम्बूचौड, कोटद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–केटी11251131031 के सन्दर्भ में कथन किया है कि विद्युत विभाग के प्रतिनिधि द्वारा तैयार किए गए बिल के अनुसार, जनवरी से नवंबर 2025 तक के विद्युत मीटर रीडिंग और बिल राशि का विवरण नीचे तालिका प्रारूप में दिया गया है, जिसमें सभी बिलों का पूरा विवरण शामिल है:–

क्रमांक	अवधि	रीडिंग		दिनों की संख्या	कुल रीडिंग	बिल राशि
		पिछली	वर्तमान			
1	18.01.25 से 18.03.25 तक	20770	21065	59	295	1581
2	18.03.25 से 22.05.25 तक	21065	21480	65	415	1812
3	22.05.25 से 23.07.25 तक	21480	21952	62	472	2498
4	23.07.25 से 26.09.25 तक	21952	22522	65	570	3310
5	26.09.25 से 23.11.25 तक	22522	22849	58	327	1675

उक्त तालिका के सम्बंध में उनका कथन है कि सर्दियों के मौसम में बिजली की खपत बहुत कम होती है, तो फिर मीटर रीडिंग को 295 तक कैसे बढ़ाया जा सकता है? इस संदर्भ में, उनका कथन है कि इतनी अधिक संख्या में मीटर रीडिंग क्यों ली जा रही हैं, जो वास्तविक बिजली खपत के अनुरूप नहीं हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, उनके द्वारा कथन कर कहा गया कि, कोटद्वार क्षेत्र में अक्टूबर और नवंबर महीनों के दौरान बिजली बार–बार चली जाती है और इस दौरान बिजली के उपकरणों का उपयोग भी बहुत सीमित रहता है। इन सबके बावजूद बिजली का बिल इतना अधिक क्यों आ रहा है? अतः मंच से अनुरोध है कि मीटर की जांच कर और आवश्यकतानुसार मीटर बदलवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 2782 दिनांकित 05.12.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड–प्रथम कोटद्वार द्वारा पत्रांक सं0 486 / वि0वि0उ0ख0प्र0,को0 / सी0जी0आर0एफ0 दिनांक 05.12.2025 के माध्यम से प्राप्त आख्यानुसार प्रतिउत्तर निम्नलिखित है:–

क्रमशः.....02

संयोजन संख्या केटी—1/1251/131031 के वर्षो 2023, 2024 एवं 2025 की रीडिंग की तुलना करने पर मीटर रीडिंग की खपत सही पायी गयी है जिसकी तालिका निम्न है:—

क्रमांक	माह	रीडिंग	माह	रीडिंग	माह	रीडिंग
1	07/2023	430	09/2023	419	11/2023	290
2	07/2024	410	09/2024	557	11/2024	335
3	07/2025	472	09/2025	570	11/2025	327

उपभोक्ता द्वारा दिनांक 23.11.2025 को ऑनलाइन माध्यम से चैक मीटर की शिकायत दर्ज करायी गयी थी जिसका शुल्क दिनांक 05.12.2025 को जमा कर दिया गया है तथा चैक मीटर लगाने हेतु पत्र विद्युत परीक्षणशाला कोटद्वार को प्रेषित कर दिया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री कमल सिंह उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 01.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 25.05.2004 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 23.11.2025 तक, एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा, दिनांक 18.03.2025 को जारी बिल में दर्शायी गई विद्युत खपत—295 यूनिट को, शीतकालीन अवधि में की जा रही कम विद्युत उपभोग की तुलना में अधिक होने के कथन के साथ विवादित ठहराया गया है। परिवादी द्वारा, माह अक्टूबर तथा नवंबर 2025 में विद्युत आपूर्ति में कटौती के बावजूद, दिनांक 23.11.2025 को जारी बिल में दर्शायी गई विद्युत खपत—327 यूनिट को भी विवादित ठहराया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा गत वर्षों में, उक्त प्रश्नगत अवधि में निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल परिवादी को जारी किए गए हैं:—

वर्ष	अवधि			कुल खपत यूनिट	खपत/माह
	से	तक	माह लगभग		
2020	13.01.2020	15.03.2020	2.06	403	196
2021	20.01.2021	18.03.2021	1.93	421	218
2022	26.01.2021	22.03.2022	1.86	431	232
2023	23.01.2023	16.03.2023	1.76	175	99
2024	21.01.2024	16.03.2024	1.83	235	128
2025	18.01.2025	18.03.2025	2.00	295	148

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा वर्ष 2025 में, दिनांक 18.01.2025 से दिनांक 18.03.2025 तक, दो माह की अवधि में, कुल 295 यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त दो माह की अवधि में, लगभग 148 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। परिवादी द्वारा वर्ष 2020, 2021 तथा 2022, उक्त लगभग समान शीतकालीन अवधि में, औसतन क्रमशः 196 यूनिट, 218 यूनिट तथा 232 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 148 यूनिट प्रति माह की तुलना में अधिक है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा पूर्व के वर्षों में, शीतकालीन अवधि में, वर्ष 2025 में की गई विद्युत खपत से अधिक मात्रा में की गई है।

परिवादी द्वारा, गत वर्षों में माह अक्टूबर तथा नवंबर में, निम्नानुसार, विद्युत खपत दर्ज की गई है:—

क्रमशः......03

वर्ष	अवधि			कुल खपत यूनिट	खपत/माह
	से	तक	माह लगभग		
2020	17.09.2020	12.11.2020	1.83	273	149
2021	21.09.2021	18.11.2021	1.90	607	319
2022	20.09.2022	21.11.2022	2.00	381	190
2023	22.09.2023	22.11.2023	2.00	290	145
2024	22.09.2024	23.11.2024	2.00	335	168
2025	26.09.2025	23.11.2025	1.90	327	172

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा वर्ष 2025 में, दिनांक 26.09.2025 से दिनांक 23.11.2025 तक, लगभग 1.90 माह (अक्टूबर तथा नवंबर–2025) की अवधि में, कुल 327 यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 1.90 माह की अवधि में, लगभग 172 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। परिवादी द्वारा, वर्ष 2021 तथा 2022 में क्रमशः 319 यूनिट तथा 190 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 172 यूनिट प्रति माह की तुलना में अधिक है। परिवादी द्वारा वर्ष 2024 में, दिनांक 22.09.2024 से दिनांक 23.11.2024 तक, लगभग दो माह की अवधि में औसतन 168 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 172 यूनिट प्रति माह की तुलना में लगभग समान है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा पूर्व के वर्षों में (माह अक्टूबर तथा नवंबर), वर्ष 2025 में, की गई विद्युत खपत की तुलना में अधिक विद्युत खपत का उपभोग किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–50015553 पर, समय–समय पर दर्ज, वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत होता है। अतः विपक्षी विभाग द्वारा वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर जारी उक्त बिलों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

06/01/2026

(विजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

06/01/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 293 / 2025 दिनांक : 06.01.2026

परिवादी :– श्री विपिन चंद तिवारी वास्ते श्री निशिकांत कुमार, निवासी–बादशाहपुर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लक्सर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री विपिन चंद तिवारी वास्ते श्री निशिकांत कुमार, निवासी–बादशाहपुर, जिला–हरिद्वार द्वारा, विद्युत संयोजन संख्या–एलके0के000020483, स्वीकृत भार 20 किलोवाट के सन्दर्भ में कथन किया है कि उनका उक्त विद्युत कनैक्शन, विद्युत वितरण खण्ड, लक्सर डिवीजन के अंतर्गत बादशाहपुर स्थान पर स्थित है। सितंबर 2025 के बिल में, 33.74 किलोवाट की असामान्य अधिकतम मांग दिखाई गई है और अनुचित रूप से रू0. 6045.60 का, अतिरिक्त मांग शुल्क लगाया गया है। साथ ही, अक्टूबर 2025 के बिल में 32.78 किलोवाट की, असामान्य अधिकतम मांग दिखाई गई है और अनुचित रूप से रू0. 5623.20 का अतिरिक्त मांग शुल्क लगाया गया है। उनका कनेक्टेड लोड कभी भी निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हुआ। उन्होने इस अनुचित, अतिरिक्त मांग शुल्क को ठीक करने के लिए, कई बार विभाग से सम्पर्क किया, लेकिन न तो बिल में सुधार किया गया और न ही उन्हें एमआरआई रिपोर्ट प्रदान की गई। विद्युत बिल लगातार आ रहे हैं और गलत तरीके से, देर से भुगतान करने पर, अतिरिक्त शुल्क भी वसूले जा रहे है। अतः मंच से अनुरोध है कि, विद्युत विभाग को निर्देशित कर, बिल को ठीक करवा दिया जाए, विलंब शुल्क को भी बिल से हटवा दिया जाए एवं विभाग द्वारा उचित मुआवजा भी दिलवाया जाए क्योंकि विद्युत विभाग द्वारा उन्हे, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 5568 दिनांकित 16.12.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि, शिकायतकर्ता उत्तराखण्ड नियामक आयोग की नियमावली 2019 अध्याय 1 के प्रस्तर 1.2(C) के प्रावधानों के अर्न्तगत उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। उपभोक्ता के परिसर पर स्मार्ट मीटर संख्या–5640208 स्थापित है। उपभोक्ता का विद्युत बीजक AMR के माध्यम से निर्गत किया जा रहा है। उक्त मीटर की M/s Genus के पोर्टल से प्राप्त MRI की प्रति संलग्न है। MD ज्यादा आने के कारण विद्युत बीजक में Excess Demand Charge प्रदर्शित हो रहा है।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री सचिन सचदेवा उपस्थित हुए।

क्रमशः.....02

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 20.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 01.12.2015 से, श्री निशिकांत कुमार के नाम पर गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 03.02.2025 तक, एमयू आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा, माह सितंबर तथा अक्टूबर 2025 में, कमशः दिनांक 30.10.2025 तथा दिनांक 04.11.2025 को जारी बिलों में दर्शायी गई अधिकतम भार को, असामान्य रूप से अत्यधिक होने के कथन साथ, विवादित ठहराया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, गत महिनों/वर्षों में, विद्युत खपत तथा परिवादी द्वारा दर्ज अधिकतम विद्युत भार के सापेक्ष, निम्नानुसार, विद्युत बिल परिवादी को जारी किए गए हैं:–

वर्ष	माह	विद्युत खपत (यूनिट)	अधिकतम विद्युत भार (किलोवाट)
2023	जून	7932	23.18
	जुलाई	8334	23.44
	अगस्त	8545	23.94
	सितंबर	9043	24.92
	अक्टूबर	9236	25.04
	नवंबर	9231	24.80
	दिसंबर	8956	24.32
2024	जनवरी	9029	24.24
	अप्रैल	9401	22.00
	मई	9318	22.00
	जून	9596	24.48
	जुलाई	9491	25.50
	अगस्त	9783	25.88
	सितंबर	9842	26.14
	अक्टूबर	9050	25.72
	नवंबर	9323	22.06
2025	जुलाई	8960	25.39
	अगस्त	10954	33.96
	सितंबर	10861	34.12
	अक्टूबर	10143	33.74
	नवंबर	10781	32.78
	दिसंबर	9680	34.69

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, जून 2023 से दिसंबर 2025 तक की अवधि में उक्त 22 बिलिंग चकों के लिए जारी बिलों के सापेक्ष, विद्युत उपभोग की अवधि में, अनुबंधित विद्युत भार की तुलना में, अधिक विद्युत भार (22.00 किलोवाट से 34.69 किलोवाट तक) का उपभोग किया गया है। परिवादी द्वारा, दिनांक 04.07.2025 से दिनांक 03.12.2025 तक की अवधि में, 32.78 किलोवाट से 34.69 किलोवाट तक का विद्युत भार का उपभोग किया गया हैं जिसकी पुष्टि, परिवादी द्वारा उक्त अवधि में की गई विद्युत खपत में दर्ज वृद्धि से होती है।

क्रमशः.....03

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, परिवादी द्वारा, माह सितंबर तथा अक्टूबर 2025 में जारी बिलों में दर्ज, अधिकतम विद्युत भार के सापेक्ष की गई विद्युत खपत में वृद्धि से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा उक्त अवधि में अनुबंधित भार (20 किलोवाट) से काफी अधिक विद्युत भार (33.74 तथा 32.78 किलोवाट) का उपभोग किया गया है जो कि सही प्रतीत होता है। परिवादी द्वारा, अधिकतम विद्युत भार तथा विद्युत खपत के संबंध में व्यक्त की गई आशंकाओं के समाधान हेतु, चैक मीटर स्थापित किए जाने की शिकायत, विपक्षी विभाग को प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

06/01/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

06/01/2026

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

06/01/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 295 / 2025 दिनांक : 12.01.2026

परिवादी :– श्री जमील पुत्र श्री अता हुसैन, निवासी–भारापुर भौरी, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री जमील पुत्र श्री अता हुसैन, निवासी–भारापुर भौरी, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा, विद्युत संयोजन संख्या–682बीबी02148352, 02 किलोवाट भार के सन्दर्भ में कथन किया है कि उनका बिजली का मीटर तेज चल रहा था। उन्होंने चैक मीटर की एप्लीकेशन लगाई। जिसमें बिजली विभाग ने चैक मीटर लगा दिया और उस टाइम उनका बिल रू0. 60000.00 का था, उस समय श्री राहुल जैन, अधिशासी अभियंता थे। अधिशासी अभियंता ने कहा कि रू0. 35000.00 जमा कर दो, उन्होंने रू0 35000.00 जमा कर दिये थे और साल 2021 में लॉकडाउन लग गया जिसमे उन्हें कहा गया कि 35000. 00 जमा की रशीद दे देगें। परन्तु रशीद हमें मिल नहीं पायी और पहले वाला मीटर उतार लिया गया था और रू0. 108000.00 की आर0सी0 भेज दी गई थी, जिसमे उन्होंने रू0. 46000.00 जमा किये थे। जो चैक मीटर लगाया गया था, जिसका मीटर नं0–यू863736 है और इसका बिल रू0. 65435.00 आया है, अब इसमे पहले वाला और चैक मीटर दोनों की रीडिंग है। अतः मंच से अनुरोध है कि वह एक गरीब व्यक्ति है इसलिए बिल में कुछ छूट करवा कर, बिल किश्तों में जमा करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 961 दिनांकित 24.12.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता को घरेलू संयोजन संख्या 682बीबी02148352, 02 किलोवाट भार में, दिनांक 07.08.2012 को निर्गत किया गया था। शिकायतकर्ता के बीजक संयोजन निर्गत करने की तिथि 07.08.2012 से दिनांक 11.04.2018 तक मीटर रीडिंग खपत आधार पर, समय–समय, पर माननीय विद्युत नियामक आयोग उत्तराखण्ड द्वारा जारी विद्युत दरों के अनुसार निर्गत किये गये। दिनांक 26.06.2018 को उपभोक्ता का विद्युत मापक खराब (IDF&Brunt) होने की शिकायत के कारण बदला गया न कि चैक मीटर के आधार पर। विद्युत मापक प्रतिस्थापन उपरान्त से दिनांक 09.12.2018 तक बीजक नये विद्युत मापक की खपत के अनुसार निर्गत किये गये। संयोजन निर्गत होने की तिथि से अस्थाई विच्छेदन होने तक की अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा केवल 2 बार ही दिनांक 25.10.2012 को रू0. 144 व दिनांक 15.02.2013 को रू0. 670.00 का भुगतान बीजकों का किया गया। दिनांक 15.02.2013 के बाद से दिनांक 09.12.2018 तक लगातार उपभोक्ता विभाग का डिफाल्टर रहा है जिस कारण संयोजन माह दिसम्बर 2018 पर बकाया होने के कारण अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया था। शिकायतकर्ता

क्रमशः.....02

द्वारा रू0. 35000.00 का भुगतान विभाग को नहीं किया गया। विद्युत मापक संख्या यू863736 शिकायतकर्ता के नाम पर ही निर्गत अन्य संयोजन संख्या 682बीबी02163235 है जो अन्य परिसर पर लगा है तथा इसके सापेक्ष उपभोक्ता द्वारा दिनांक 04.01.2025 को रू0. 20617.00 जमा किये गये थे। अतः शिकायतकर्ता का यह कथन कि एक ही घर में दो कनैक्शन नंबर चल रहे है, गलत है। खण्ड कार्यालय द्वारा पी0डी0 फाईनल कर सैक्शन–3 व सैक्शन–5 की कार्यवाही, बकाया वसूली हेतु की गयी है जिसमें सैक्शन 5 के सापेक्ष रू0. 40000.00 दिनांक 28.01.2025 को शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान किया गया है तथा वर्तमान में पी0डी0 फाईनल बिल के सापेक्ष रू0. 57827.00 का भुगतान शिकायतकर्ता द्वारा किया जाना शेष है। शिकायतकर्ता ने अपने अनुरोध पत्र में विद्युत बीजक में छूट दिये जाने हेतु अनुरोध किया है। वर्तमान में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कोई भी छूट योजना गतिमान नही है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री जमील तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्रीमती अनिता उपस्थित हुई।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 07.08.2012 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.12.2018 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा, दिनांक 19.09.2012 तथा दिनांक 22.01.2013 को जारी कमशः रू0 144.00 तथा रू0 670.00 की धनराशि के बिलों का भुगतान किया गया है। परिवादी द्वारा दिनांक 22.01.2013 के पश्चात जारी किसी भी बिल का भुगतान नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन को दिसंबर 2018 (मीटर रीडिंग–173 केडब्लूएच) को विच्छेदित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.12.2018 को जारी विद्युत बिल के अनुसार परिवादी द्वारा, बिल की देय धनराशि रू0 98223.00 है। परिवादी द्वारा उक्त विद्युत बकाया की धनराशि जमा न किए जाने पर विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित करते हुए, विद्युत बिल की कुल धनराशि रू0 97827.22 की वसूली, देयों की वसूली अधिनियम 1958 की धारा 3 के अधीन किए जाने हेतु, पत्रांक 90508240059 दिनांक 05.08.2024 जिलाधिकारी हरिद्वार को प्रेषित किया गया है। परिवादी द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन रू0 40000.00 की धनराशि जमा की गई है। जिसका समायोजन परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन संख्या–682बीबी02148352 के संबंधित अभिलेखों में दर्ज किया गया है। परिवादी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन रू0 57827.00 की धनराशि जमा किया जाना शेष है। परिवादी द्वारा, विद्युत बिलों के सापेक्ष रू0 35000.00 जमा किए जाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर कोई भी चैक मीटर स्थापित नहीं किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 26.01.2018 को, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में स्थापित मीटर संख्या–ई39502 को, दोषपूर्ण हो जाने के उपरांत, मीटर संख्या–30715620 द्वारा, प्रतिस्थापित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन संख्या– 682बीबी02148352 पर तद्समय गतिमान मीटर संख्या–ई39502 तथा 30715620 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। अतः विद्युत खपत के आधार पर जारी किए गए बिलों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

क्रमशः.....03

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 298/2025 दिनांक : 06.01.2026

परिवादी :– श्री रोहन कुमार पुत्र श्री नव किशोर शर्मा, प्लाट नं0–96, खसरा नं0–393, मोहन एनक्लेव, जमालपुर कलां, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री रोहन कुमार पुत्र श्री नव किशोर शर्मा, प्लाट नं0–96, खसरा नं0–393, मोहन एनक्लेव, जमालपुर कलां, जिला–हरिद्वार, विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू21410609039, स्वीकृत भार 02 किलोवाट के सन्दर्भ में कथन किया है कि उनको माह अक्टूबर से विद्युत बिल प्राप्त नहीं हुआ है जिससे उनको, बिल का भुगतान करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उन्हें हर माह बिल प्रेषित किये जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 9831 दिनांकित 18.12.2025 के माध्यम से, उपभोक्ता श्री रोहन कुमार पुत्र श्री नव किशोर शर्मा, प्लाट नं0–96, खसरा नं0–393, मोहन एनक्लेव, जमालपुर कलां, जिला–हरिद्वार द्वारा, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 298/2025, के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 17.12.2025 को, मीटर रीडिंग के आधार पर, उपभोक्ता का बीजक निर्गत कर, उपभोक्ता की शिकायत का निवारण कर दिया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री रूपेश कुमार उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 22.01.2025 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 12.10.2025 तक, एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 12.10.2025 के पश्चात, दो बिलिंग चक्रों हेतु, विद्युत बिल, परिवादी को जारी नहीं किए गए हैं जिसकी शिकायत परिवादी द्वारा मंच के समक्ष प्रेषित की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा, निर्धारित बिलिंग चक्रों के लिए, विद्युत बिल जारी न करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (4) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त उल्लंघन हेतु दोषी

क्रमशः.....02

कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है ताकि दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाया जा सके ताकि भविष्य में विद्युत उपभोक्ताओं को, निर्धारित समयावधि में विद्युत बिल जारी हो सकें। इसी कम में, मंच द्वारा जारी नोटिस संख्या–985/सीजीआरएफ/फोरम/नोटिस/हरि0, दिनांक 08.12.2025 के संदर्भ में, विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 9831 दिनांक 18.12.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन में, गतिमान मीटर संख्या–जीयू172601 पर, दिनांक 17.12.2025 को दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग–2407 केडब्लूएच के आधार पर, विद्युत बिल जारी करते हुए, परिवादी की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के संयोजन में गतिमान मीटर संख्या–जीयू172601 पर, दिनांक 17.12.2025 को दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग–2407 केडब्लूएच के आधार पर, विद्युत बिल जारी करते हुए, परिवादी की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रेषित संशोधित बिल की छाया प्रति से होती है। विपक्षी विभाग द्वारा, भविष्य में भी, बिलिंग चक्रों के अनुसार निर्धारित समयावधि पर, विद्युत बिल परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

06/01/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

06/01/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 300/2025 दिनांक : 20.01.2026

परिवादी :– श्रीमती शिवानी पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार, पीर वाली कालोनी, जगजीतपुर, कनखल, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती शिवानी पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार, पीर वाली कालोनी, जगजीतपुर, कनखल, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू11439136326, के सन्दर्भ में कथन किया है कि माह जुलाई 2025 से, उनका विद्युत बिल गलत आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका विद्युत बिल ठीक करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 10122 दिनांकित 29.12.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि मै0 गढ़वाल मीटरिंग प्रा0 लि0 द्वारा दिनांक 30.01.2025 को उपभोक्ता के परिसर पर स्मार्ट मीटर संख्या 5582711 स्थापित किया गया था, जो विलम्ब से दिनांक 16.07.2025 को एडवाइज हुआ था। उपभोक्ता द्वारा दिनांक 30.01.2025 से दिनांक 04.12.2025 के मध्य उपयोग की गयी 4727 यूनिट को टैरिफ अनुसार विभक्त कर उपभोक्ता का विद्युत बीजक नियमानुसार संशोधित किया गया है, दिनांक 29.12.2025 को खण्ड कार्यालय के अनुमोदन उपरांत उपभोक्ता के विद्युत बीजक से रू0. 630.00 घटाकर उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, अतः वाद समाप्त करने योग्य है।

मंच के समक्ष परिवादिनी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री रूपेश कुमार उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 21.01.2013 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 04.12.2025 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर, पूर्व में स्थापित मीटर संख्या–330257 (मीटर रीडिंग–19665 केडब्लूएच) को, दिनांक 16.07.2025 (30.01.2025) को, स्मार्ट मीटर संख्या–5582711 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। परिवादिनी द्वारा, उक्त स्मार्ट मीटर संख्या–5582711 के माध्यम से दिनांक 30.01.2025 से दिनांक 26.07.2025 तक, लगभग 5.86 माह की अवधि में, कुल 3329 (3329–00) यूनिट की विद्युत खपत की गई है।

क्रमशः.....02

इस प्रकार, परिवादिनी द्वारा उक्त 5.86 माह की अवधि में, औसतन लगभग 568 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। परिवादिनी द्वारा, दिनांक 26.07.2025 से दिनांक 04.12.2025 तक, लगभग 4.26 माह की अवधि में, कुल 1398 (4727–3329) यूनिट की विद्युत खपत की गई है इस प्रकार परिवादिनी द्वारा उक्त 4.26 माह की अवधि में, लगभग 328 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। परिवादिनी द्वारा, प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–330257 के माध्यम से, दिनांक 30.03.2024 से दिनांक 28.09.2024 तक, लगभग 06 माह की अवधि में कुल 3665 (18519–14854) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा उक्त 06 माह की अवधि में, लगभग 611 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 568 यूनिट प्रति माह की तुलना में 7.04 प्रतिशत अधिक है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–330257 पर, दिनांक 30.01.2025 को दर्ज अंतिम मीटर रीडिंग/खपत–19665 केडब्लूएच तथा वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या–5582711 पर, दिनांक 26.07.2025 को दर्ज मीटर रीडिंग/खपत–3329 केडब्लूएच एवं दिनांक 04.02.2025 को दर्ज मीटर रीडिंग/खपत–4727 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल परिवादिनी को जारी किया गया है जो कि सही प्रतीत होता है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादिनी को जारी करते हुए परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20/01/2026

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

20/01/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 303 / 2025 दिनांक : 13.01.2026

परिवादी :– श्री भारा, ग्राम–झाबरी, पोस्ट–अम्बुवाला, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लक्सर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री भारा, ग्राम–झाबरी, पोस्ट–अम्बुवाला, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–एलके11413051149, स्वीकृत भार 02 किलोवाट के सन्दर्भ में कथन किया है कि उन्होंने बिल का भुगतान, दिनांक 06.12.2025 को, रू0. 2487.00, यूपीआई के माध्यम से किया था। लेकिन अभी तक उनके बिजली बिल के खाते में यह भुगतान अपडेट नहीं हुआ है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके द्वारा भुगतान किये गये बिल को अपडेट करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 5634 दिनांकित 20.12.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता उत्तराखण्ड नियामक आयोग की नियामावली 2019 अध्याय 1 के प्रस्तर 1.2(C) के प्रावधानों के अंर्तगत उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। उपभोक्ता श्री भारा, ग्राम झाबरी के द्वारा अपने विद्युत संयोजन संख्या एलके11413051149 के विद्युत बिल में धनराशि रू0. 2487.00 का भुगतान ऑनलाईन यूपीआई के माध्यम से किया गया था। उक्त उपभोक्ता के द्वारा अपने विद्युत बिल संयोजन संख्या एलके11413051149 में ऑनलाईन यूपीआई के माध्यम से भुगतान की गयी धनराशि रू0. 2487.00 का समायोजन दिनांक 13.12.2025 को स्वतः ही हो चुका है। जिसमें जमा की गयी रसीद की प्रति संलग्न है।

मंच के समक्ष परिवादी के अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री सचिन सचदेवा उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 24.07.1998 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.12.2025 तक, एमयू आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 08.11.2024 को, रू0 2351.00 की धनराशि का विद्युत बिल जारी किया गया है। परिवादी द्वारा, दिनांक 06.12.2025 को, ट्रांजेक्शन आईडी–बीडीओ15340बीएजेएएडी9ए 84एस के माध्यम से कुल रू0 2487.00 की धनराशि का भुगतान, विपक्षी विभाग को किया गया है। उक्त भुगतान के सापेक्ष विपक्षी विभाग द्वारा, रू0 2487.00 की धनराशि की पावती संख्या–1399213122एस000011, दिनांक 13.12.2025 जारी की गई है। परिवादी द्वारा जमा उक्त धनराशि रू0 2487.00 के सापेक्ष, विद्युत खपत के आधार पर दिनांक

क्रमशः.....02

08.11.2025 को जारी विद्युत बिल की कुल धनराशि रू0 2351.00 तथा अतिरिक्त प्रतिपूर्ति जमा मद में रू0 136.00 का समायोजन, परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन से संबंधित अभिलेखों में प्रदान किया गया है। इस प्रकार, परिवादी द्वारा दिनांक 06.12.2025 को जमा की गई उक्त धनराशि रू0 2487.00 (2351.00+136.00) का समायोजन परिवादी को दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, परिवादी द्वारा, दिनांक 06.12.2025 को जमा की गई विद्युत बिल की धनराशि रू0 2487.00 (2351.00+136.00) का समायोजन, परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन से संबंधित अभिलेखों में प्रदान किया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	13/01/2026 (जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	13/01/2026 (सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 306 / 2025 दिनांक :13.01.2026

परिवादी :– श्री हेमेन्द्र कुमार त्यागी पुत्र श्री नरोत्तम सिंह त्यागी, प्लाट नं0–ए0पी0 55, अंतरिक्ष सिटी, सेक्टर–9, सिड़कुल, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सिड़कुल, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद के तथ्य –परिवादी श्री हेमेन्द्र कुमार त्यागी पुत्र श्री नरोत्तम सिंह त्यागी, प्लाट नं0–ए0पी0 55, अंतरिक्ष सिटी, सेक्टर–9, सिड़कुल, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–एचआर71253731700, स्वीकृत भार 05 किलोवाट के सन्दर्भ में कागज सं0 – 1 ता 4 प्रस्तुत कर कथन किया है कि जून 2025 में 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने के बाद से उनका विद्युत बिल नहीं आया है। उनका आखिरी बिल 2 जुलाई को आया था, जिसमें बिजली की वास्तविक रीडिंग नहीं ली गई थी। उन्होने पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायतें भी दर्ज कराई है (रजिस्ट्रेशन नं0 12311250003, दिनांक 23.11.2025 और रजि0 नं0 10910250010, दिनांक 09.10.2025) और बिजली का बिल प्राप्त करने के लिए कई बार कार्यालय भी गये, लेकिन उन्हे बिल नही मिल पा रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके मासिक बिजली बिल को जेनरेट करने में मदद की जाए, ताकि बिल की राशि का संचय रूक सके और उन्हे एक ही बार में बड़ी रकम की अचानक आवश्यकता न पड़े।

विपक्षी का जवाब – विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कागज सं0 – 6 ता 7 प्रस्तुत कर पत्रांक संख्या 2607 दिनांकित 22.12.2025 के माध्यम से कथन किया गया है कि उपभोक्ता श्री हेमेन्द्र कुमार त्यागी का विद्युत बीजक दिनांक 26.05.2025 से 30.11.2025 तक बनाकर दिनांक 18.12.2025 मे जारी कर दिया गया है।

वाद सं0–306 / 2025
(उ0शि0नि0मं0, हरिद्वार)

–:विचारणः–

मंच के समक्ष परिवादी के अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्री ओम सिंह उपस्थित हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की शिकायत बिजली के बिल का न दिया जाना है जिसके समाधान हेतु विपक्षी द्वारा परिवादी को बिजली बिल उपलब्ध करा दिया गया है परिवादी आज मंच के सामने उपस्थित नही आया है न ही कोई आपत्ति की गई है तदनुसार परिवादी की शिकायत का निस्तारण किया जाता है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का दौरान वाद समाधान कर दिया गया है अतः किसी आदेश की आवश्यकता नही है। तदनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	13/01/2026 (जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	13/01/2026 (सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 307 / 2025 दिनांक : 20.01.2026

परिवादी :– श्री सोम प्रकाश पुत्र श्री यमुना प्रसाद, निवासी–463, विष्णुलोक कालोनी, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री सोम प्रकाश पुत्र श्री यमुना प्रसाद, निवासी–463, विष्णुलोक कालोनी, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू40760130710, स्वीकृत भार 02 किलोवाट के सन्दर्भ में कथन किया है कि उनका बिजली का बिल दिनांक 05 मार्च को बढ़कर आया था, जिसके चलते उनका विद्युत बिल ठीक नहीं होने के कारण, वह बिजली का बिल जमा नहीं कर पाये। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत की थी, लेकिन आज तक भी उनका बिल सही नहीं हुआ है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका विद्युत बिल ठीक करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 10031, दिनांकित 24.12.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्री सोम प्रकाश पुत्र श्री यमुना प्रसाद, निवासी–463, विष्णुलोक कालोनी, ज्वालापुर, हरिद्वार के सापेक्ष उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, ज्वालापुर–द्वितीय द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 1084 दिनांक 24.12.2025 के माध्यम से श्री सोम प्रकाश पुत्र श्री यमुना प्रसाद का विद्युत बिल संशोधित कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जो कि आर0ए0पी0डी0आर0पी0 सिस्टम में गतिमान है। जिसे यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

मंच के समक्ष परिवादी श्री सोम प्रकाश तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्री एस0के0 गौतम उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 02.11.2017 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.12.2025 तक, एमयू आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, गत वर्षों में निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं:–

मीटर संख्या	अवधि			विद्युत खपत / रीडिंग का विवरण			
	से	तक	माह	IR	FR	कुल खपत	औसत खपत
63194287	07.10.22	08.10.23	12.00	3508	4560	1052	88
	08.10.23	09.10.24	12.00	4560	5638	1078	90

क्रमशः– 02

	09.10.24	07.02.25	0.04	5638	5879	141	60
	07.02.25	05.03.25	0.86	5879	8920	3041	3536
	05.03.25	09.12.25	9.13	6100	6976	876	96
	07.02.25	09.12.25	10.00	5879	6976	1097	110

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा दिनांक 07.10.2022 से दिनांक 07.02.2025 तक तथा दिनांक 05.03.2025 से दिनांक 09.12.2025 तक, लगभग 47.13 माह की अवधि में लगभग 4344 यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा, उक्त 47.13 माह की अवधि में, लगभग 92 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 05.03.2025 को जारी विद्युत बिल में, दिनांक 07.02.2025 से दिनांक 05.03.2025 तक, लगभग 0.86 माह की अवधि हेतु, कुल 3041 (8920–5879) यूनिट की विद्युत खपत का बिल परिवादी को जारी किया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभगा द्वारा, उक्त 0.86 माह की अवधि हेतु औसतन 3536 यूनिट प्रति माह की दर से, विद्युत बिल, परिवादी को जारी किया गया है जो कि उक्त 92 यूनिट प्रति माह की तुलना में 3747.47 प्रतिशत अधिक है। उक्त से विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 05.03.2025 को जारी विद्युत बिल में दर्शायी गई मीटर रीडिंग–8920 केडब्लूएच सही प्रतीत नहीं होती है। इसी कम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 1084 दिनांक 24.12.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि दिनांक 05.03.2025 से दिनांक 09.12.2025 तक, जारी बिलों को निरस्त करते हुए, परिवादी द्वारा, दिनांक 07.02.2025 से दिनांक 09.12.2025 तक की अवधि में दर्ज की गई, कुल विद्युत खपत–1097 (6976–5879) यूनिट के सापेक्ष, दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, परिवादी को जारी बिलों में संशोधन किए जाने की कार्यवाही गतिमान है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 05.03.2025 से दिनांक 09.12.2025 तक, जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, परिवादी द्वारा दिनांक 07.02.2025 से दिनांक 09.12.2025 तक की अवधि हेतु, परिवादी द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत–1097 (6976–5879) यूनिट के सापेक्ष दर्ज मासिक/दैनिक औसत खपत के आधार पर, प्रस्तावित बिल संशोधन के अनुसार, संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 05.03.2025 से दिनांक 09.12.2025 तक, जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, परिवादी द्वारा दिनांक 07.02.2025 से दिनांक 09.12.2025 तक की अवधि हेतु, परिवादी द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत–1097 (6976–5879) यूनिट के सापेक्ष दर्ज मासिक/दैनिक औसत खपत के आधार पर, प्रस्तावित बिल संशोधन के अनुसार, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20/01/2026

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

20/01/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 311/2025 दिनांक : 13.01.2026

परिवादी :– श्री नीलकण्ठ गिरी महाराज केयर ऑफ कपिल मुनि जी महाराज श्री चक्र पीठ, ग्राम–तोली, पौड़ी गढ़वाल।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री नीलकण्ठ गिरी महाराज केयर ऑफ कपिल मुनि जी महाराज श्री चक्र पीठ, ग्राम–तोली, पौड़ी गढ़वाल द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–केटी22242261050, के सन्दर्भ में कथन किया है कि उनका नाम व पता उनके विद्युत संयोजन से सम्बन्धित अभिलेखों में सही नहीं लिखा हुआ है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके आधार कार्ड के अनुसार उनके विद्युत संयोजन से सम्बन्धित अभिलेखों में उनका पूरा नाम व पता सही लिखवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 2882 दिनांकित 22.12.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपरोक्त शिकायत के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड–द्वितीय, कोटद्वार द्वारा पत्रांक सं0 556/वि0वि0उ0ख0–।।,कोट/फोरम दिनांक 19.12.2025 द्वारा प्रस्तुत आख्यानुसार उपभोक्ता के संयोजन सं0 केटी 2/2242/261050 में श्री नीलकण्ठ गिरी महाराज जी का नाम व पता उनके आधार कार्ड के आधार पर संशोधित कर दिया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी अनुपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 01.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 10.11.2018 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 21.10.2025 तक, एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन से संबंधित अभिलेखों में, परिवादी का नाम M/s NEEKANTH GIRI तथा पिताजी का नाम Mr. KAPIL MUNI दर्ज किया गया है। परिवादी द्वारा उक्त नामों को आधार कार्ड संख्या–699613244758 के अनुसार संशोधित किए जाने हेतु एक शिकायत पत्र संख्या–शून्य दिनांक 16.12.2025 के माध्यम से मंच को प्रेषित की गई है। मंच द्वारा, परिवादी की उक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए परिवाद संख्या–311/2025 दर्ज किया गया है। मंच द्वारा दिनांक 16.12.2025 को, पत्रांक–1013/सीजीआरएफ/फोरम/नोटिस/हरि0 के माध्यम से विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया है।

क्रमशः.....02

मंच द्वारा जारी उक्त नोटिस के अनुपालन में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 2882 दिनांक 22.12.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन से संबंधित अभिलेखों में परिवादी तथा परिवादी के पिताजी का नाम परिवादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड के अनुसार अद्यतन करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। जिसकी पुष्टि परिवादी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 04.01.2026 से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन से संबंधित अभिलेखों में परिवादी तथा परिवादी के पिताजी का नाम परिवादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड के अनुसार अद्यतन करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर देने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

13/01/2026 13/01/2026

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 313/2025 दिनांक : 20.01.2026

परिवादी :– श्री विनेश कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द्र, खसरा नं0–361, शिव शक्तिपुरम, जमालपुर, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री विनेश कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द्र, खसरा नं0–361, शिव शक्तिपुरम, जमालपुर, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू21430756314 के सन्दर्भ में कथन किया है कि उनका विद्युत बिल एवं मीटर रीडिंग में तकनीकी कारण से उनका विद्युत बिल अधिक आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका विद्युत बिल ठीक करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 10064 दिनांकित 26.12.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता को पुराने मीटर संख्या यू329586 के आधार पर अन्तिम बार माह 01/2025 में 16063 रीडिंग पर कुल 5900 यूनिट का विद्युत बीजक प्रेषित किया गया था। इसके उपरान्त मीटर खराब होने के कारण उपभोक्ता को माह 04/2025 से 08/2025 तक आईडीएफ के आधार पर विद्युत बीजक प्रेषित किये गये थे। विद्युत परीक्षणशाला, सिड़कुल, हरिद्वार सिलिंग प्रमाण पत्र संख्या 07/2172 के विवरणानुसार दिनांक 24.05.2025 को उपभोक्ता के परिसर पर नया मीटर संख्या जीयू509273 स्थापित किया गया था। उपभोक्ता द्वारा उपखण्ड कार्यालय में विद्युत बीजक संशोधन हेतु प्रेषित पत्र दिनांक 22.09.2025 के अनुक्रम में मीटर रीडिंग आधारित अन्तिम तीन बिलिंग साइकिल (माह 05/2024 से 07/2024) की औसत यूनिट के आधार पर दिनांक 25.01.2025 से 24.05.2025 तक उपभोक्ता विद्युत बीजक नियमानुसार संशोधित कर उपखण्ड कार्यालय के पत्रांक 501/वि0वि0उ0ख0ज0ह0, दिनांक 25.09.2025 के माध्यम से अनुमोदन हेतु खण्ड कार्यालय में प्रेषित किया गया था, दिनांक 04.10.2025 को खण्ड कार्यालय के अनुमोदन उपरांत उपभोक्ता के विद्युत बीजक से रू0. 29975.00 घटाकर उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण पूर्व में ही किया जा चुका है।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री रूपेश कुमार उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 17.12.2019 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा,

क्रमशः.....02

दिनांक 14.07.2024 तक, एमयू आधार पर, दिनांक 01.09.2024 से दिनांक 02.01.2025 तक की अवधि हेतु, लगातार 05 बिलिंग चक्र के लिए एनआर आधार पर, दिनांक 25.01.2025 को एमयू आधार पर, दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 02.09.2025 तक की अवधि हेतु, लगातार 06 बिलिंग चक्रों के लिए एनआर/आईडीएफ आधार पर, दिनांक 19.09.2025 को एमसी आधार पर तथा दिनांक 24.10.2025 से दिनांक 21.12.2025 तक एमयू आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, 02 बिलिंग चक्रों से अधिक बार, लगातार एनआर/आईडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

विपक्षी विभाग द्वारा गत वर्षों में, निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल परिवादी को जारी किए गए हैं:–

मीटर संख्या	अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
	से	तक	माह	IR	FR	कुल खपत	औसत खपत
	15.12.21	18.12.22	12.00	4454	6460	2006	167
	18.12.22	14.12.23	12.00	6460	8364	1900	158
	14.12.23	14.07.24	0.70	8364	10163	1799	257
	14.07.24	25.01.25	06.36	10163	16063	5900	928
	15.12.21	**25.01.25**	**37.33**	**4454**	**16063**	**11609**	**311**
	25.01.25	02.09.25	07.23	16063	16063	5996 IDF	829 IDF
जीयू509273	02.09.25	21.12.25	03.63	00	1274	1274	351

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा, मीटर संख्या–जीयू509273 के माध्यम से, दिनांक 02.09.2025 से दिनांक 21.12.2025 तक, लगभग 3.63 माह की अवधि में, कुल 1274 (1274–00) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 3.63 माह की अवधि में, लगभग 351 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त तालिका में उल्लेखित औसत विद्युत खपत 167 यूनिट प्रति माह, 158 यूनिट प्रति माह तथा 257 यूनिट प्रति माह की तुलना में क्रमशः 110.17 प्रतिशत, 122.15 प्रतिशत एवं 36.58 प्रतिशत अधिक है तथा 928 यूनिट प्रति माह की तुलना में 62.18 प्रतिशत कम है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में स्थापित मीटर संख्या–यू329586 में, समय–समय पर दर्ज मीटर रीडिंग/खपत के आधार पर बिल जारी नहीं किए गए हैं। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा दिनांक 15.12.2021 से दिनांक 25.01.2025 तक, लगभग 33.33 माह की अवधि में, औसतन 311 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 351 यूनिट प्रति माह की तुलना में सही प्रतीत होती है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 25.01.2025 से दिनांक 02.09.2025 तक, लगभग 7.23 माह की अवधि हेतु,

क्रमशः.....03

कुल 5996 यूनिट की विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त 7.23 माह की अवधि हेतु 829 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जो कि उक्त 311 एवं 351 यूनिट प्रति माह की तुलना में क्रमशः 166.56 प्रतिशत एवं 136.16 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 20.02.2022 से दिनांक 19.09.2025 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 15.12.2021 से दिनांक 25.01.2025 तक की अवधि में, परिवादी द्वारा की गई कुल विद्युत खपत—11609 (16063—4454) यूनिट के सापेक्ष दर्ज, औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, तथा दिनांक 25.01.2025 से दिनांक 02.09.2025 तक की अवधि हेतु, निर्धारण के आधार पर जारी बिलों के सापेक्ष, उपरोक्तानुसार दिनांक 15.12.2021 से दिनांक 25.01.2025 तक की अवधि में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए, संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है। विपक्षी विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि उपरोक्त अवधि में बिलिंग हिस्ट्री में दर्ज विलंब अधिभार शुल्क से अधिक की धनराशि परिवादी के संशोधित बिल में आरोपित न की जाए।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 20.02.2022 से दिनांक 19.09.2025 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 15.12.2021 से दिनांक 25.01.2025 तक की अवधि में, परिवादी द्वारा की गई कुल विद्युत खपत—11609 (16063—4454) यूनिट के सापेक्ष दर्ज, औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, तथा दिनांक 25.01.2025 से दिनांक 02.09.2025 तक की अवधि हेतु, निर्धारण के आधार पर जारी बिलों के सापेक्ष, उपरोक्तानुसार दिनांक 15.12.2021 से दिनांक 25.01.2025 तक की अवधि में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग यह भी सुनिश्चित करे कि उपरोक्त अवधि में बिलिंग हिस्ट्री में दर्ज विलंब अधिभार शुल्क से अधिक की धनराशि परिवादी के संशोधित बिल में आरोपित न हो। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20/01/2026

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

20/01/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।